

रिटर्न



अध्याय में उल्लिखित भाग संख्या सीजीएसटी अधिनियम से संबंधित हैं और अध्याय में उल्लिखित नियम संख्या सीजीएसटी नियमों से संबंधित हैं, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। अध्याय में दिए गए उदाहरण/चित्रण/प्रश्न और उत्तर 30.04.2025 की स्थिति के अनुसार मौजूदा जीएसटी कानून पर आधारित हैं।

अध्ययन परिणाम

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद, आप सक्षम होंगे -

- ❑ बाहर की आपूर्ति और भीतर की आपूर्ति के विवरण प्रस्तुत करने वाले विवरणों से संबंधित प्रावधानों को समझना और विश्लेषण करना।
- ❑ भाग 39 के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करने से संबंधित प्रावधानों को समझना और विश्लेषण करना।
- ❑ अन्य रिटर्न/विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित प्रावधानों को समझना और विश्लेषण करना।
- ❑ रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक/विलंब से संबंधित प्रावधानों का अवलोकन प्रदान करना।
- ❑ जीएसटी प्रैक्टिशनर से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करना।

अध्याय का अवलोकन



परिचय

“रिटर्न” शब्द सामान्यतः उस सूचना (तथ्यों) के विवरण को दर्शाता है जिसे करदाता नियमित अंतराल पर कर प्रशासकों को प्रस्तुत करता है। रिटर्न में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में सामान्यतः उन गतिविधियों/व्यावसायिक संचालन से संबंधित विवरण शामिल होते हैं जो कराधान का विषय बनते हैं; कर का माप जैसे बिक्री मूल्य, टर्नओवर या मूल्य; कटौतियाँ और छूट; तथा



किसी निर्धारित अवधि के लिए कर दायित्व का निर्धारण और निर्वहन।

किसी भी कर कानून में, “रिटर्न प्रस्तुत करना” सबसे महत्वपूर्ण अनुपालन प्रक्रिया होती है, जो सरकार/कर प्रशासक को किसी विशेष अवधि के लिए कर संग्रह का अनुमान लगाने और करदाताओं के कर अनुपालन की सटीकता और पूर्णता निर्धारित करने में सक्षम बनाती है।

रिटर्न निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं:

- (क) कर प्रशासन को जानकारी हस्तांतरित करने का माध्यम;
- (ख) कर प्रशासन के अनुपालन सत्यापन कार्यक्रम के लिए;
- (ग) निर्धारित समय सीमा के भीतर करदाता के कर दायित्वों का अंतिम निर्धारण;
- (घ) नीति निर्णय लेने के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करना;
- (ङ) कर प्रशासन के ऑडिट और कर चोरों के विरोधी कार्यक्रमों का प्रबंधन करना।




करदाता को सामान्यतः रिटर्न एक विशिष्ट कानूनी प्रारूप में प्रस्तुत करने की नी प्रारूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। ये प्रारूप इस प्रकार तैयार किए

जाते हैं कि वे करदाता के कर दायित्व की गणना से संबंधित कानून के सभी प्रावधानों को समाहित कर सकें। अतः, रिटर्न फॉर्म में विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन और उन्हें कर कानून के संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में समझना, कर कानून की समग्र समझ को बेहतर तरीके से प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।

जीएसटी कानूनों के तहत, रिटर्न का सही और समय पर प्रस्तुत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके दो कारण हैं। पहला, जीएसटी कानूनों के तहत करदाता को अपने कर दायित्व का अनुमान

“स्व-मूल्यांकन” आधार पर करना होता है और उक्त रिटर्न प्रस्तुत करते समय कर राशि जमा करनी होती है। अतः रिटर्न कर अधिकारियों के लिए एक प्रकार का कार्य पत्रक/समर्थन दस्तावेज़ बन जाता है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि यह आधार है जिस पर करदाता द्वारा कर की गणना की गई है।



जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करने से रिटर्न प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के कर दायित्व के निर्धारण में मदद मिलती है और साथ ही इसका उन अन्य व्यक्तियों के कर दायित्व के निर्धारण पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिनके साथ उसने कर योग्य गतिविधियों में लेन-देन किया है।

दूसरा, जीएसटी व्यवस्था के तहत, रिटर्न प्रस्तुत करने से न केवल उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कर दायित्व निर्धारित होता है, बल्कि इसका अन्य व्यक्तियों के कर दायित्व के निर्धारण पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिनके साथ पूर्ववर्ती ने व्यवसाय के क्रम या विस्तार में लेन-देन किया है। सीजीएसटी अधिनियम का अध्याय IX [भाग 37 से 48] रिटर्न प्रस्तुत करने से संबंधित प्रावधानों को निम्नानुसार निर्धारित करता है:

भाग 37	बाहर की आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना
भाग 38	भीतर की आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना
भाग 39	रिटर्न प्रस्तुत करना
भाग 40	प्रथम रिटर्न
भाग 44	वार्षिक रिटर्न
भाग 45	अंतिम रिटर्न
भाग 46	रिटर्न चूककर्ताओं को नोटिस
भाग 47	देर से जमा शुल्क का लगाना
भाग 48	वस्तु एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर

इसके अतिरिक्त, भाग 52, अन्य बातों के साथ, स्रोत पर कर वसूलने के लिए ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण को निर्धारित करती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ से संबंधित भाग 41 के प्रावधानों पर पहले ही अध्याय 8 - इनपुट टैक्स क्रेडिट इस अध्ययन सामग्री के मॉड्यूल में चर्चा की जा चुकी है; इसलिए, उक्त प्रावधान यहाँ नहीं चर्चा किए गए हैं। रिटर्न के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए फॉर्म और तरीके से संबंधित प्रावधान सीजीएसटी नियमों के अध्याय VIII [नियम 59-84] के तहत दिए गए हैं। राज्य जीएसटी कानून भी रिटर्न प्रस्तुत करने के संबंध में समान प्रावधान निर्धारित करते हैं।

सीजीएसटी अधिनियम के तहत रिटर्न से संबंधित प्रावधान, देर से शुल्क को छोड़कर, आईजीएसटी अधिनियम की भाग **20** के माध्यम से आईजीएसटी अधिनियम पर भी लागू किए गए हैं।

¹ भाग 42, 43 और 43ए को हटा दिया गया है।

² नियम 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 79 को हटा दिया गया है।

जीएसटी कानूनों के तहत सभी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किए जाने हैं। करदाता विभिन्न माध्यमों से विवरण और रिटर्न प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले, वे अपने विवरण और रिटर्न सीधे जीएसटी सामान्य पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि, यह उन करदाताओं के लिए जो बड़ी संख्या में चालान रखते हैं, थकाऊ और समय-साध्य हो सकता है। ऐसे करदाताओं के लिए, जीएसटीएन द्वारा ऑफ़लाइन यूटिलिटी प्रदान की गई है, जिसका उपयोग विवरण तैयार करने के लिए ऑफ़लाइन किया जा सकता है, ऑटो-पॉप्युलेटेड विवरण डाउनलोड करने के बाद और उन्हें सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। जीएसटीएन ने जीएसटी सुविधा प्रदाताओं (जीएसपी) का एक परिस्थितिकी तंत्र भी विकसित किया है, जो सामान्य पोर्टल के साथ एकीकृत होगा।



करदाता द्वारा रिटर्न के रूप में प्रस्तुत की गई जानकारी को समेकित किया जाएगा और सामान्य पोर्टल पर संग्रहित किया जाएगा, जो दोनों के लिए समान होगा, अर्थात्, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए।

2. प्रासंगिक परिभाषाएँ

- ❑ **सामान्य पोर्टल** अर्थात् वह सामान्य वस्तु एवं सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल जिसे भाग 146 [भाग 2(26)] में उल्लेखित किया गया है।
- ❑ **क्रेडिट नोट** अर्थात् वह दस्तावेज़ जिसे एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा भाग 34 की उप-भाग (1) के तहत जारी किया गया हो [भाग 2(37)]।
- ❑ **अल्पकालिक कर योग्य व्यक्ति** अर्थात् वह व्यक्ति जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, जहाँ उसका स्थायी व्यापार स्थान नहीं है, व्यवसाय के क्रम या विस्तार में कभी-कभार वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से संबंधित लेन-देन करता है, चाहे वह प्रधान, एजेंट या किसी अन्य क्षमता में हो [भाग 2(20)]।
- ❑ **डेबिट नोट** अर्थात् वह दस्तावेज़ जिसे एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा भाग 34 की उप-भाग (3) के तहत जारी किया गया हो [भाग 2(38)]।

- ❑ **इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता** अर्थात् वह इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता जिसे भाग 49 की उप-भाग (1) में उल्लेखित किया गया है [भाग 2(43)]।
- ❑ **इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य** अर्थात् वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, जिसमें डिजिटल उत्पाद भी शामिल हैं, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से की जाती है [भाग 2(44)]।
- ❑ **इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर** अर्थात् वह कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का स्वामी, संचालक या प्रबंधक हो [भाग 2(45)]।
- ❑ **इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता** अर्थात् वह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता जिसे भाग 49 की उप-भाग (2) में उल्लेखित किया गया है [भाग 2(46)]।
- ❑ **छूट प्राप्त आपूर्ति** अर्थात् किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति, जिस पर शून्य कर दर लागू हो या जिसे भाग 11 के तहत पूरी तरह करमुक्त किया जा सके, या एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम की भाग 6 के तहत, और इसमें गैर-कर योग्य आपूर्ति भी शामिल है [भाग 2(47)]।
- ❑ **वस्तु एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर** अर्थात् वह कोई भी व्यक्ति जिसे इस प्रकार के प्रैक्टिशनर के रूप में कार्य करने के लिए भाग 48 के तहत अनुमोदित किया गया हो [भाग 2(55)]।
- ❑ **चालान या कर चालान** अर्थात् वह कर चालान जिसे भाग 31 में उल्लिखित किया गया है [भाग 2(66)]।
- ❑ **भीतर की आपूर्ति** किसी व्यक्ति के संबंध में, इसका अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति, चाहे वह खरीद, अधिग्रहण या किसी अन्य माध्यम से हो, मूल्य के साथ या बिना मूल्य के [भाग 2(67)]।
- ❑ **अग्रहस्थायी कर योग्य व्यक्ति** अर्थात् वह कोई भी व्यक्ति जो कभी-कभार वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से संबंधित लेन-देन करता है, चाहे वह प्रधान, एजेंट या किसी अन्य क्षमता में हो, लेकिन जिसका भारत में कोई स्थायी व्यापार स्थान या निवास स्थान न हो [भाग 2(77)]।
- ❑ **बाहर की आपूर्ति** किसी कर योग्य व्यक्ति के संबंध में, इसका अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, चाहे वह बिक्री, हस्तांतरण, अदला-बदली, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निपटान या किसी अन्य माध्यम से हो, जो उस व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के क्रम या विस्तार में की गई हो या करने के लिए सहमति दी गई हो [भाग 2(83)]।
- ❑ **निर्धारित** अर्थात् वह जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा, परिषद की सिफारिशों के अनुसार, निर्धारित किया गया हो [भाग 2(87)]।

- ❑ **उचित अधिकारी** किसी भी कार्य के संबंध में जिसे इस अधिनियम के तहत निभाया जाना है, इसका अर्थ है आयुक्त या केंद्रीय कर का वह अधिकारी जिसे बोर्ड में आयुक्त द्वारा वह कार्य सौंपा गया हो [भाग 2(91)]।
- ❑ **त्रैमासिक** अर्थात् वह अवधि जिसमें लगातार तीन कैलेंडर महीने शामिल हों, जो किसी कैलेंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन समाप्त होती है [भाग 2(92)]।
- ❑ **प्राप्तकर्ता** वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता का अर्थ है—
 - जहाँ वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए मूल्य भुगतान किया जाना हो, वह व्यक्ति जो उस मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो;
 - जहाँ वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कोई मूल्य भुगतान नहीं किया जाता, उस व्यक्ति को जिसे वस्तुएँ वितरित की जाती हैं या उपलब्ध कराई जाती हैं, या जिसे वस्तुओं का स्वामित्व या उपयोग दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है; और
 - जहाँ किसी सेवा की आपूर्ति के लिए कोई मूल्य भुगतान नहीं किया जाता, उस व्यक्ति को जिसे सेवा प्रदान की जाती है,

और किसी ऐसे व्यक्ति के संदर्भ को जिसे आपूर्ति की गई है, आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा और इसमें वह एजेंट भी शामिल होगा जो प्राप्तकर्ता की ओर से प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में इस प्रकार कार्य करता है [भाग 2(93)]।
- ❑ **पंजीकृत व्यक्ति** अर्थात् वह व्यक्ति जो भाग 25 के तहत पंजीकृत हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसके पास अद्वितीय पहचान संख्या हो [भाग 2(94)]।
- ❑ **रिटर्न्स** अर्थात् कोई भी रिटर्न्स जिसे इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित या अन्यथा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो [भाग 2(97)]।
- ❑ **रिवर्स चार्ज** अर्थात् वह कर दायित्व जो वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा, आपूर्तिकर्ता की बजाय, भाग 9 की उप-भाग (3) या उप-भाग (4) के तहत, या एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम की भाग 5 की उप-भाग (3) या उप-भाग (4) के तहत चुकाया जाता है [भाग 2(98)]।
- ❑ **आपूर्तिकर्ता** किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों के संबंध में, इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो उक्त वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों आपूर्ति करता है और इसमें वह एजेंट भी शामिल होगा जो ऐसे आपूर्तिकर्ता की ओर से आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में कार्य करता हो।

हालाँकि, कोई भी व्यक्ति जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट क्रियाशील दावों की आपूर्ति का आयोजन या व्यवस्था करता है, जिसमें वह व्यक्ति शामिल है जो ऐसी आपूर्ति के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का स्वामी, संचालक या प्रबंधक है, उसे ऐसे क्रियाशील दावों का आपूर्तिकर्ता माना जाएगा, चाहे ये क्रियाशील दावे उसके द्वारा या उसके माध्यम से आपूर्ति किए जाएँ और चाहे ऐसी आपूर्ति के लिए मूल्य धन या धन के मूल्य के रूप में, जिसमें आभासी डिजिटल संपत्ति भी शामिल है, उसे सीधे या उसके माध्यम से भुगतान किया गया हो या किसी भी रूप में उसकी उपलब्धता में रखा गया हो। इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे निर्दिष्ट क्रियाशील दावों के आपूर्तिकर्ता पर लागू होंगे, जैसे कि वह आपूर्ति के संबंध में कर चुकाने के लिए उत्तरदायी आपूर्तिकर्ता हो [भाग 2(105)]।

- ❑ **कर अवधि** अर्थात् वह अवधि जिसके लिए रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है [भाग 106]।
- ❑ **कर योग्य व्यक्ति** अर्थात् वह व्यक्ति जो भाग 22 या भाग 24 के तहत पंजीकृत है या पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है [भाग 2(107)]।
- ❑ **कर योग्य आपूर्ति** अर्थात् वह वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति, जिस पर इस अधिनियम के तहत कर लगाया जा सकता है [भाग 2(108)]।
- ❑ **वैध रिटर्न** अर्थात् वह रिटर्न जो भाग 39 की उप-भाग (1) के तहत प्रस्तुत किया गया हो और जिस पर स्व-मूल्यांकित कर पूरी तरह चुकाया गया हो [भाग 2(117)]।




3. आउटवर्ड सप्लाई का विवरण प्रस्तुत करना [भाग 37 का नियम 59 के साथ अध्ययन]

(i) बाहर की आपूर्ति का विवरण कौन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? [भाग 37(1) नियम 59(1) के साथ पढ़ें]

वस्तुओं और सेवाओं दोनों की बाहर की आपूर्ति (परिभाषा देखें) का विवरण प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसमें अल्पकालिक पंजीकृत व्यक्ति भी शामिल हैं, सिवाय निम्नलिखित मामलों के:

- ❑ इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी)
- ❑ अग्रहस्थायी कर योग्य व्यक्ति (एनआरटीपी)
- ❑ संयोजन योजना के तहत कर देने वाला व्यक्ति

- ❑ स्रोत पर कर काटने वाला व्यक्ति
- ❑ स्रोत पर कर वसूलने वाला व्यक्ति, अर्थात् एजेंट न होने वाला ई-कॉमर्स ऑपरेटर (पर्यावरण)
- ❑ गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित ऑनलाइन सूचना एवं डाटाबेस अभिगम या पुनःप्राप्ति सेवाओं (ओआईडीएआर) का आपूर्तिकर्ता³, जो ऐसी सेवाएँ किसी गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता को प्रदान करता है।



- ◆ आईएसडी
- ◆ अग्रहस्थायी कर योग्य व्यक्ति
- ◆ संयोजन करदाता
- ◆ स्रोत पर कर काटने वाला व्यक्ति
- ◆ स्रोत पर कर वसूलने वाला व्यक्ति
- ◆ गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित ओआईडीएआर सेवाओं का आपूर्तिकर्ता, जो गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता को सेवाएँ प्रदान करता है

(ii) बाहर की आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए फॉर्म कौन सा है? [भाग 37(1) नियम 59(1) के साथ पढ़ें]

बाहर की आपूर्ति का विवरण **मासिक या त्रैमासिक** रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में **फॉर्म जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह विवरण सामान्य पोर्टल के माध्यम से, सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र से प्रस्तुत किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, शून्य जीएसटीआर-1 करदाता के पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके एसएमएस के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

³ इनपुट सेवा वितरक और ऑनलाइन सूचना एवं डाटाबेस अभिगम या पुनःप्राप्ति सेवाओं (ओआईडीएआर)

के आपूर्तिकर्ता द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करने के प्रावधान अंतिम स्तर पर चर्चा किए जाएंगे।

(iii) जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख क्या है? [भाग 37(1)]

किसी विशेष कर अवधि के लिए जीएसटीआर-1 उसी कर अवधि के तुरंत अगले कर अवधि की 10वीं तिथि तक या उससे पहले प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी महीने/त्रैमासिक की जीएसटीआर-1 अगले महीने/त्रैमासिक की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच किसी भी समय प्रस्तुत की जा सकती है। जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को



जीएसटी आयुक्त/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी आयुक्त द्वारा किसी वर्ग के करदाताओं के लिए अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।

फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाहर की आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा को निम्नलिखित अनुसार बढ़ाया गया है:

पंजीकृत व्यक्ति का वर्ग	प्रत्येक त्रैमासिक/मासिक के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाहर की आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा
क्यूआरएमपी योजना ⁵ का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्ति	उस त्रैमासिक के अगले महीने की 13वीं तिथि
अन्य	उस महीने के अगले महीने की 11वीं तिथि

(iv) चालान प्रस्तुत करने की सुविधा (आईएफएफ) उन करदाताओं के लिए जो क्यूआरएमपी योजना का विकल्प चुनते हैं [नियम 59 की उप-नियम (2) और (3)]

चालान प्रस्तुत करने की सुविधा (आईएफएफ) उन त्रैमासिक करदाताओं के लिए प्रदान की गई है जो क्यूआरएमपी योजना में हैं, ताकि वे त्रैमासिक की पहली दो महीनों में अपनी बाहर की आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत कर सकें और अपने प्राप्तकर्ताओं को क्रेडिट प्रदान कर सकें।

चालान प्रस्तुत करने की सुविधा (आईएफएफ) अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह क्यूआरएमपी योजना के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के लिए एक वैकल्पिक सुविधा है। अपनी पसंद के अनुसार, कोई पंजीकृत व्यक्ति आईएफएफ का उपयोग किए बिना केवल फॉर्म जीएसटीआर-1 में त्रैमासिक के दौरान की गई बाहर की आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना चुन सकता है।

⁴ अधिसूचना संख्या 83/2020 सीटी दिनांक 10.11.2020 के माध्यम से

⁵ क्यूआरएमपी योजना - एक त्रैमासिक रिटर्न योजना जिसमें भुगतान मासिक आधार पर करना होता है - इस अध्याय में बाद में विस्तार से चर्चा की गई है।

आईएफएफ में चालानों का विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा इसलिए प्रदान की गई है ताकि ऐसी आपूर्ति का विवरण संबंधित प्राप्तकर्ता के फॉर्म जीएसटीआर-2ए और फॉर्म जीएसटीआर-2बी में उचित रूप से प्रदर्शित हो सके।

अन्यथा, यदि कोई खरीदार उस व्यक्ति से खरीदारी करता है जो क्यूआरएमपी योजना का विकल्प चुनता है, तो वह पूर्ण आईटीसी दावा नहीं कर सकता था। लेकिन आईएफएफ की शुरुआत के कारण, ऐसी देरी नहीं होगी क्योंकि आईएफएफ के माध्यम से प्रस्तुत विवरण प्राप्तकर्ताओं के जीएसटीआर-2ए, जीएसटीआर-2बी, जीएसटीआर-4ए या जीएसटीआर-6ए में, परिस्थितियों के अनुसार, प्रदर्शित होगा।

क्यूआरएमपी योजना का विकल्प चुनने वाले करदाता, त्रैमासिक के पहले और दूसरे महीने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले बाहर की आपूर्ति का विवरण, प्रत्येक पहले 2 महीनों में कुल ₹50 लाख तक की वैधता के साथ, आईएफएफ का उपयोग करके सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि, त्रैमासिक के अंतिम महीने से संबंधित चालानों को केवल जीएसटीआर-1 में अपलोड करना होगा।

चालानों को आईएफएफ में अगले महीने की 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना है। महीने की 13 तारीख के बाद, पिछले महीने के लिए आईएफएफ प्रस्तुत करने की यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

सुविधा के रूप में, पंजीकृत व्यक्तियों के लिए चालानों को लगातार अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसमें वे आईएफएफ में चालानों को महीने की 1 तारीख से अगले महीने की 13 तारीख तक सहेज सकते हैं।

उक्त सुविधा, उदाहरण के लिए, जुलाई महीने के लिए 1 अगस्त से 13 अगस्त तक उपलब्ध होगी। इसी प्रकार, अगस्त महीने के लिए यह सुविधा 1 सितंबर से 13 सितंबर तक उपलब्ध होगी।

त्रैमासिक की पहली 2 महीनों में आईएफएफ के माध्यम से प्रस्तुत किए गए चालानों का विवरण उसी त्रैमासिक के जीएसटीआर-1 में दोबारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।



(1) जो पंजीकृत व्यक्ति क्यूआरएमपी योजना का लाभ ले रहा है, वह त्रैमासिक के पहले महीने में जारी कुल 10 चालानों में से 2 चालानों को घोषित करना चाहता है, क्योंकि उन 2 चालानों से संबंधित प्राप्तकर्ता उसी महीने में आईटीसी का लाभ लेना चाहता है। इन 2 चालानों का विवरण आईएफएफ का उपयोग करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

⁶ फॉर्म जीएसटीआर-6ए इनपुट सेवा वितरक के लिए इनवर्ड सप्लाइज का सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट है। आईएसडी से संबंधित प्रावधान अंतिम स्तर पर विस्तार से चर्चा किए गए हैं।

शेष 8 चालानों का विवरण उक्त त्रैमासिक के फॉर्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किया जाएगा। आईएफएफ में प्रस्तुत दो चालान त्रैमासिक के पहले महीने के संबंधित प्राप्तकर्ता के फॉर्म जीएसटीआर-2बी में प्रदर्शित होंगे और फॉर्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत शेष 8 चालान त्रैमासिक के अंतिम महीने के संबंधित प्राप्तकर्ता के फॉर्म जीएसटीआर-2बी में प्रदर्शित होंगे।

हालांकि, यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति आईएफएफ का उपयोग करके चालान अपलोड करने का विकल्प नहीं चुनता है, तो उसे त्रैमासिक के सभी 3 महीनों के चालानों का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-1 में अपलोड करना होगा।

(v) वे मामले कौन से हैं जिनमें पंजीकृत व्यक्ति जीएसटीआर-1/आईएफएफ में बाहर की आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने से वंचित है? [भाग 37(4) नियम 59(6) के साथ पढ़ें]

यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने किसी पिछले कर अवधि के बाहर की आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसे उस कर अवधि के लिए बाहर की आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

हालांकि, सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना के माध्यम से, उसमें निर्दिष्ट किसी भी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग को बाहर की आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है, भले ही उसने एक या अधिक पिछले कर अवधियों के लिए बाहर की आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत न किया हो [भाग 37(4)]।

इसके अतिरिक्त, नियम 59(6) यह निर्धारित करता है कि:

- (i) यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने पिछले महीने के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसे फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाहर की आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।
- (ii) यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति क्यूआरएमपी योजना का विकल्प चुनता है और उसने **पिछले कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी** में रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसे फॉर्म जीएसटीआर-1 या आईएफएफ का उपयोग करके बाहर की आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।
- (iii) यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के संबंध में नियम 88 सी (1) के प्रावधानों के तहत सामान्य पोर्टल पर सूचना जारी की गई है, तो उसे अगले कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 या आईएफएफ का उपयोग करके बाहर की आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी,

जब तक कि उसने उक्त सूचना में निर्दिष्ट राशि जमा न की हो या नियम 88सी(2) के प्रावधानों के तहत शेष राशि न भरने के कारणों की व्याख्या करते हुए उत्तर प्रस्तुत न किया हो। नियम 88सी पर इस अध्याय में बाद में चर्चा की गई है।

- (iv) जिस पंजीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि/कर अवधियों के संबंध में नियम 88डी(1) के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य पोर्टल पर अभिसूचना जारी की गई है, उसे किसी पश्चातवर्ती कर अवधि के लिए जीएसटीआर-1/आईएफएफ दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उसने उक्त अभिसूचना में निर्दिष्ट अतिरिक्त आई.टी.सी. की राशि के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया हो या नियम 88डी(2) के प्रावधानों के अनुसार अब तक अप्रदत्त अतिरिक्त आई.टी.सी. की राशि के संबंध में कारण बताते हुए उत्तर प्रस्तुत नहीं कर दिया हो। नियम 88डी का विवरण इस अध्याय में आगे चर्चा किया गया है।
- (v) यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने नियम 10ए के प्रावधानों के अनुसार अपने बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसे जीएसटीआर-1/आईएफएफ दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी।



कोई करदाता वर्तमान कर अवधि की समाप्ति से पूर्व जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं कर सकता।

हालांकि, इस नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं:

(क) अनियमित करदाता, अपने व्यवसाय के समापन के पश्चात्

(ख) सामान्य करदाता के जी.एस.टी.आई.एन. के निरस्तीकरण की स्थिति में जिस करदाता ने पंजीकरण के निरस्तीकरण के लिए आवेदन किया है, उसे आवेदन की प्राप्ति की पुष्टि होने के पश्चात् जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी।

⁷नियम 10ए के प्रावधानों की चर्चा इस अध्ययन सामग्री के अध्याय 9 - पंजीकरण में की गई है।

(vi) जीएसटीआर-1 के अंतर्गत कौन-कौन से विवरण सम्मिलित होते हैं ?

जीएसटीआर-1 के विवरण

मूल एवं अन्य विवरण

- जीएसटीआईएन
- कानूनी नाम
- व्यापारिक नाम, यदि कोई हो
- पिछले वर्ष का कुल कारोबार
- वर्ष और माह
- एचएसएन के अनुसार बाहरी आपूर्ति का सारांश
- कर अवधि के दौरान जारी किए गए दस्तावेजों का विवरण

बाहरी आपूर्ति का विवरण

- बी2बी सहित यूआईएन धारक
- बी2सी अंतर-राज्य आपूर्ति, जहाँ चालान मूल्य > ₹ 2.5 लाख
- अन्य बी2सी आपूर्ति का समेकित विवरण
- शून्य दर पर और मान्यताप्राप्त निर्यात
- जारी किए गए डेबिट/क्रेडिट नोट्स
- शून्य दर / छूट प्राप्त / गैर-जीएसटी
- पूर्व अवधि के लिए संशोधन
- प्राप्त अग्रिम/समायोजित अग्रिम



जीएसटी एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है। अतः कर राजस्व उस राज्य को हस्तांतरित किया जाता है, जो संबंधित लेन-देन के लिए आपूर्ति स्थल होता है। चूंकि कर राजस्व में प्रत्येक राज्य के हिस्से का निर्धारण करने के लिए आपूर्ति स्थल महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जीएसटीआर-1 में आपूर्ति स्थल से संबंधित जानकारी भी सम्मिलित की जाती है।

(vii) जीएसटीआर-1 और आईएफएफ में बाहरी आपूर्ति के किस प्रकार के विवरण प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं? [भाग 37 की व्याख्या, नियम 59 की उप-नियम (4), (4ए) और (5) के संदर्भ में]

आईएफएफ और जीएसटीआर-1 में चालानों का अपलोड करना इस बात पर निर्भर करता है कि आपूर्ति बी2बी है या बी2सी। इसके अलावा, जीएसटीआर-1 में चालानों का अपलोड करना इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपूर्ति अंतर-राज्य है या राज्य-आंतरिक। पहले हमें यह समझना होगा कि बी2बी आपूर्ति क्या है और बी2सी आपूर्ति क्या है।

⁸ आईजीएसटी अधिनियम की भाग 10 और 12 में निहित आपूर्ति स्थल निर्धारण के सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा इस अध्ययन सामग्री के मॉड्यूल 1 के अध्याय 4 - आपूर्ति स्थल में की गई है।

बी2बी का अर्थ है व्यवसाय से व्यवसाय तक लेन-देन। इस प्रकार के लेन-देन में, प्राप्तकर्ता भी एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता होता है और इसलिए वह इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है।

बी2सी का अर्थ है व्यवसाय से उपभोक्ता तक लेन-देन। इस प्रकार के लेन-देन में, प्राप्तकर्ता उपभोक्ता या अपंजीकृत होता है और इसलिए वह इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेता या ले नहीं सकता।

(क) आईएफएफ में प्रस्तुत किए जाने वाले बाहरी आपूर्ति के विवरण

आईएफएफ में, पंजीकृत व्यक्ति को माह के दौरान जारी किए गए बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) चालानों के विवरण के साथ-साथ अंतर-राज्य और राज्य-आंतरिक आपूर्ति लेन-देन के बी2बी चालानों के डेबिट और क्रेडिट नोट्स प्रस्तुत करने होते हैं।

आईएफएफ के माध्यम से प्रस्तुत किए गए बाहरी आपूर्ति के विवरण में निम्नलिखित शामिल होंगे -

- (क) पंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर-राज्य और राज्य-आंतरिक आपूर्ति के चालानवार विवरण;
- (ख) ऐसे पूर्व में जारी किए गए चालानों के लिए माह के दौरान जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट नोट्स, यदि कोई हो।

उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आईएफएफ में बी2बी आपूर्ति से संबंधित चालान शामिल होंगे, चाहे वे राज्य-आंतरिक हों या अंतर-राज्य। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राप्तकर्ता ऐसे चालानों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे।

(ख) जीएसटीआर -1/ जीएसटीआर -1ए में प्रस्तुत किए जाने वाले बाहरी आपूर्ति के विवरण

पंजीकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करना आवश्यक है:

- (i) जीएसटीआर-1 में पंजीकृत और अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्ति से संबंधित चालानों और संशोधित

चालानों (यानी बी2बी तथा बी2सी आपूर्ति) और डेबिट नोट्स एवं क्रेडिट नोट्स का विवरण, तथा

- (ii) पंजीकृत व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार, फॉर्म जीएसटीआर -1ए में प्रस्तुत किए गए माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति के अतिरिक्त विवरण या विवरणों में किए गए संशोधन निम्नलिखित प्रकार से:

क्रमांक	सभी चालानों के चालानवार विवरण	सभी का समेकित विवरण	डेबिट और क्रेडिट नोट्स
(i)	पंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर-राज्य और राज्य-आंतरिक आपूर्ति, अर्थात् बी2बी आपूर्ति	प्रत्येक कर दर के लिए अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई राज्य-आंतरिक आपूर्ति	पूर्व में जारी किए गए चालानों के लिए माह के दौरान जारी किया गया
(ii)	चालान मूल्य ₹ 1,00,000 से अधिक वाले अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर-राज्य आपूर्ति, अर्थात् बी2सी आपूर्ति	प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक कर दर के अनुसार चालान मूल्य ₹ 1,00,000 तक वाले अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर-राज्य आपूर्ति	

उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बी2बी आपूर्ति के लिए, चालान चाहे राज्य-आंतरिक हों या अंतर-राज्य, सभी चालानों का विवरण जीएसटीआर-1/फॉर्म जीएसटीआर-1ए में अपलोड करना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राप्तकर्ता ऐसे चालानों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा।

बी2सी आपूर्ति के लिए, सामान्यतः विवरण अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि खरीदार इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेगा। हालांकि, गंतव्य-आधारित सिद्धांत को लागू करने के लिए, अंतर-राज्य बी2सी आपूर्ति में ₹ 1 लाख से अधिक मूल्य वाले चालानों का विवरण अपलोड करना आवश्यक है।

₹ 1 लाख तक के अंतर-राज्य चालानों के लिए राज्यवार सारांश पर्याप्त है और सभी राज्य-आंतरिक चालानों के लिए केवल समेकित विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।



(2) श्री एक्सवाई, श्री अब को राज्य-आंतरिक करयोग्य आपूर्ति के रूप में ₹ 10,000 और ₹ 50,000 तथा श्री डी.ई को ₹ 1,00,000 की आपूर्ति करता है। वह श्री रुपये को अंतर-राज्य करयोग्य आपूर्ति के रूप में ₹ 1,00,000 और ₹ 45,000 तथा श्री

सेशन को ₹ 90,000 की आपूर्ति करता है। श्री एक्सवाई, जीएसटीआर-1 में, श्री अब को की गई राज्य-आंतरिक आपूर्ति और श्री रुपये को की गई अंतर-राज्य आपूर्ति का चालानवार विवरण प्रस्तुत करेगा।

चालानों से संबंधित विवरण कर अवधि के दौरान किसी भी समय अपलोड किए जा सकते हैं, न कि केवल आईएफएफ/जीएसटीआर-1 दाखिल करते समय।

चालानों से संबंधित विवरण कर अवधि की आईएफएफ/जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने तक किसी भी संख्या में संशोधित/हटाए जा सकते हैं। अपलोड किए गए चालान विवरण आईएफएफ/जीएसटीआर -1 प्रस्तुत किए जाने तक प्रारूपित रूप में रहते हैं और उन्हें नियत तिथि की परवाह किए बिना बदला जा सकता है।

★ चालानों की स्कैन की हुई प्रतियों को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। केवल चालानों से कुछ निर्दिष्ट जानकारी के क्षेत्रों को प्रस्तुत करना आवश्यक है, जैसे चालान संख्या, तिथि, मूल्य, कर योग्य मूल्य, कर दर, कर की राशि आदि।

यदि कोई प्रतिपूर्ति नहीं है, लेकिन क्रियाकलाप सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुसार आपूर्ति है, तो कर योग्य मूल्य को निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कर प्रस्तुत करना होगा।

★ चालान में प्रत्येक आइटम का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। केवल माल की आपूर्ति के लिए एचएसएन (नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली) कोड और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लेखा कोड दर्ज करना आवश्यक है।

एचएसएन विवरण का संकेत

एचएसएन कोड के न्यूनतम अंकों की संख्या, जिसे दाखिल करने वाले को अपलोड करना है, पिछले वर्ष के उसके कारोबार पर निर्भर करती है।

एचएसएन निम्नानुसार प्रकट किया जाएगा⁹:

⁹ सूचना संख्या 78/2020 सीटी, दिनांक 15.10.2020

पिछले वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक कारोबार	एचएसएन कोड के अंक की संख्या
₹ 5 करोड़ तक	बी2बी आपूर्ति के लिए – 4 बी2सी आपूर्ति के लिए – 4 (वैकल्पिक)
₹ 5 करोड़ से अधिक	6



एचएसएन या एचएस (हार्मोनाइज्ड क्मोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम) विभिन्न वस्तुओं का एक मानकीकृत नामकरण प्रणाली है, जिसे विश्व कस्टम्स संगठन द्वारा विकसित किया गया है और जिसे वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाता है।

एचएसएन विभिन्न वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए 6-अंकों के समान कोड का उपयोग करता है। भारत में और अधिक विशिष्ट और सटीक वर्गीकरण के लिए 8-अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है।



(3) पिछले वित्तीय वर्ष में येलो लेमन प्राइवेट लिमिटेड, रेड पेपर प्राइवेट लिमिटेड और ब्लू बेरी प्राइवेट लिमिटेड का कारोबार क्रमशः ₹ 1.5 करोड़, ₹ 4.8 करोड़ और ₹ 6 करोड़ है।

जहाँ येलो लेमन प्राइवेट लिमिटेड और रेड पेपर प्राइवेट लिमिटेड को पंजीकृत व्यक्तियों को बेचे गए माल का 4-अंकों का एचएसएन कोड अपलोड करना आवश्यक होगा, वहीं अपंजीकृत व्यक्तियों को माल बेचते समय इन दोनों कंपनियों के लिए 4-अंकों का एचएसएन कोड अपलोड करना वैकल्पिक होगा।

ब्लू बेरी प्राइवेट लिमिटेड को अपने द्वारा बेचे गए माल का 6-अंकों का एचएसएन कोड अपलोड करना होगा।

(viii) वर्तमान अवधि में बाहरी आपूर्ति के विवरण में संशोधन कैसे किया जाता है?

[नियम 59(1) के प्रस्तावक]

ऐसी परिस्थितियों में, जब कोई करदाता फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने के पश्चात् महसूस करता है कि उसके कर दायित्व में फॉर्म जीएसटीआर-1 में कुछ संशोधन (घटाना या बढ़ाना) आवश्यक है, तो उसके लिए वैकल्पिक रूप से फॉर्म जीएसटीआर-1ए प्रदान किया जाता है।



यह उसे वर्तमान कर अवधि में फॉर्म जीएसटीआर-1 में रिपोर्टिंग के दौरान छूट गए किसी भी विवरण को जोड़ने या वर्तमान कर अवधि के फॉर्म जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित किसी भी विवरण (जिसमें त्रैमासिक करदाताओं के लिए किसी तिमाही के पहले और दूसरे माह में IFF में घोषित विवरण भी शामिल हैं) में संशोधन करने की अनुमति देता है।

एक पंजीकृत व्यक्ति, किसी कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात्, लेकिन उक्त कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3ए में रिटर्न दाखिल करने से पहले, अपनी इच्छा अनुसार, उक्त कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1ए में माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति के विवरण में संशोधन या अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत कर सकता है [नियम 59(1) के प्रस्तावक]।



(4) एक आपूर्तिकर्ता ने जनवरी माह में दो चालान चालान1 और चालान2 जारी किए। इसके बाद, उसने फॉर्म जीएसटीआर-1 में 8 फरवरी को चालान चालान 1 का विवरण प्रस्तुत किया। हालांकि, वह एक चालान चालान2 छूट गया और उसने इसके विवरण को 15 फरवरी को फॉर्म जीएसटीआर -1ए में प्रस्तुत किया।

इस मामले में, चालान1 प्राप्तकर्ता के लिए जनवरी माह का फॉर्म जीएसटीआर-2बी में 14 फरवरी को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, चालान2 प्राप्तकर्ता के लिए फरवरी माह का फॉर्म जीएसटीआर-2बी में 14 मार्च को उपलब्ध कराया जाएगा।



(5) एक आपूर्तिकर्ता ने जनवरी माह में दो चालान चालान3 और चालान4 जारी किए। इसके बाद, उसने फॉर्म जीएसटीआर-1 में 15 फरवरी को चालान चालान3 का विवरण प्रस्तुत किया।

हालाँकि, उसने चालान4 का विवरण 16 फरवरी को फॉर्म जीएसटीआर-1ए में घोषित किया। इस मामले में, चालान3 और चालान4 दोनों प्राप्तकर्ता के लिए फरवरी माह के फॉर्म जीएसटीआर-2बी में 14 मार्च को उपलब्ध कराया जाएगा।

फॉर्म जीएसटीआर-1ए की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- ❑ फॉर्म जीएसटीआर-1ए एक वैकल्पिक सुविधा है।
- ❑ इसे किसी भी रिटर्न अवधि के लिए केवल एक बार ही दाखिल किया जा सकता है।
- ❑ यह केवल वर्तमान कर अवधि के फॉर्म जीएसटीआर-1 में दाखिल रिकॉर्ड में संशोधन करने की अनुमति देता है।
- ❑ फॉर्म जीएसटीआर-1ए के माध्यम से किए गए परिवर्तनों का संबंधित प्रभाव करदाता की देयता पर उसी कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1बी में प्रतिबिंबित होगा।
- ❑ प्राप्तकर्ता के पक्ष पर, फॉर्म जीएसटीआर-1ए के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा घोषित या संशोधित आपूर्ति के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्तकर्ता को अगले कर अवधि के लिए जनरेट किए गए फॉर्म जीएसटीआर-1बी में उपलब्ध होगा।
- ❑ इसमें केवल सामान्य पोर्टल के माध्यम से, सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही संशोधन किया जा सकता है।


- जीएसटीआर-1ए दाखिल करने के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। मासिक आधार पर प्रपत्र जीएसटीआर-1 दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए:
 - ❖ प्रपत्र जीएसटीआर-1ए पोर्टल पर प्रत्येक माह उपलब्ध होगा, जो प्रपत्र जीएसटीआर-1 दाखिल करने की नियत तिथि अथवा प्रपत्र जीएसटीआर-1 की वास्तविक दाखिल करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से लेकर उसी कर अवधि के संबंधित प्रपत्र जीएसटीआर-3बी के वास्तविक दाखिल करने तक उपलब्ध रहेगा।
 - ❖ देयता के दृष्टिकोण से, प्रपत्र जीएसटीआर-1ए के माध्यम से घोषित या संशोधित विवरणों का शुद्ध प्रभाव, प्रपत्र जीएसटीआर-1 में घोषित विवरणों के साथ मिलाकर, उसी कर अवधि के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-3बी में स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा, जो प्रपत्र जीएसटीआर-1 की कर अवधि के समान होगा।
- उन क्यूआरएमपी करदाताओं के लिए, जो त्रैमासिक आधार पर प्रपत्र जीएसटीआर-1 दाखिल करते हैं:
 - ❖ प्रपत्र जीएसटीआर-1ए त्रैमासिक रूप से उपलब्ध होगा, जो प्रपत्र जीएसटीआर-1 की वास्तविक दाखिल करने की तिथि अथवा प्रपत्र जीएसटीआर-1 की दाखिल करने की नियत तिथि, जो भी बाद में हो, के बाद से लेकर उसी कर अवधि के प्रपत्र जीएसटीआर-3बी के वास्तविक दाखिल करने तक उपलब्ध रहेगा।
 - ❖ वर्तमान कर अवधि के प्रपत्र जीएसटीआर-1 में दर्शाई गई आपूर्तियाँ (जिसमें यदि कोई हो, तो तिमाही के प्रथम माह एम1 एवं द्वितीय माह एम2 के लिए आईएफएफ में घोषित आपूर्तियाँ भी सम्मिलित हैं) संबंधित त्रैमासिक जीएसटीआर-1ए के माध्यम से संशोधित की जा सकती हैं।
 - ❖ देयता के दृष्टिकोण से, प्रपत्र जीएसटीआर-1ए में घोषित विवरणों का शुद्ध प्रभाव, प्रपत्र जीएसटीआर-1 (या यदि दाखिल किया गया हो तो माह एम1 एवं एम2 के आईएफएफ के माध्यम से) में प्रस्तुत विवरणों के साथ मिलाकर, उसी कर अवधि के प्रपत्र जीएसटीआर-3बी में स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा।
 - ❖ माह एम1 एवं एम2 के दौरान आईएफएफ के माध्यम से प्रस्तुत अभिलेखों के लिए कोई पृथक संशोधन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- जिस स्थिति में किसी कर अवधि के प्रपत्र जीएसटीआर-1 में दर्शाई गई आपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ता के जीएसटीआईएन में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो, ऐसी त्रुटि का संशोधन केवल आगामी कर अवधि के प्रपत्र जीएसटीआर-1 के माध्यम से ही किया जा सकता है।

(ix) पूर्ववर्ती अवधियों में प्रदत्त बाह्य आपूर्तियों के विवरणों में संशोधन किस प्रकार किया जाता है? [भाग 37(3)]

(क) संशोधन/सुधार प्रविष्टियों का क्षेत्र

जीएसटीआर-1 की सारणी 9, 10 तथा 11(II) में पूर्ववर्ती अवधियों में प्रदत्त करयोग्य बाह्य आपूर्तियों के विवरणों में संशोधन का प्रावधान है (जिसे आगे “संशोधन सारणी” कहा गया है)। वर्तमान कर अवधि में करदाता द्वारा जारी किए गए मूल डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रिफंड वाउचर के विवरण तथा पूर्ववर्ती कर अवधियों में जारी किए गए डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रिफंड वाउचर में किए गए संशोधनों के विवरणों को जीएसटीआर-1 की सारणी 9 में प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है।

सामान्यतः, संशोधन सारणी में आपूर्तिकर्ता को मूल चालान (संख्या एवं दिनांक) का विवरण देना आवश्यक होता है, जिसके विवरण जीएसटीआर-1 के पूर्ववर्ती माह में त्रुटिपूर्ण रूप से प्रविष्ट किए गए थे और जिन्हें अब संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।



(ख) त्रुटियों का सुधार

यदि आपूर्तिकर्ता किसी त्रुटि या चूक का पता लगाता है, तो उसे उस कर अवधि में इसका सुधार करना होगा, जिसमें उक्त त्रुटि या चूक नोटिस की गई हो, और यदि भुगतान में कमी हो तो कर एवं ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान उस कर अवधि के लिए प्रस्तुत करने वाले रिटर्न में करना होगा।



(6) एक आपूर्तिकर्ता अगस्त माह के लिए जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत चालान विवरण में कोई त्रुटि पाता है, तो वह उक्त त्रुटि अक्टूबर माह के जीएसटीआर-1 में सुधार सकता है।

(ग) सुधार के लिए समय सीमा

उपरोक्त उदाहरण में, मान लीजिए किसी कारणवश, आपूर्तिकर्ता अक्टूबर माह के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करते समय सुधार नहीं कर पाया, तो वह ऐसे संशोधन अगले समयावधियों में कर सकता है। हालांकि, ऐसे संशोधन करने की अधिकतम समय सीमा निम्नलिखित में से जो भी पहले हो, उसके अनुसार होगी:

- वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद आने वाले नवम्बर माह की 30वीं तिथि, जिससे ये विवरण संबंधित हों, या
- संबंधित वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि



(7) किसी इकाई ने पिछले वित्तीय वर्ष का वार्षिक रिटर्न चालू वित्तीय वर्ष में 15 अगस्त को प्रस्तुत किया है। किसी लेन-देन के संबंध में त्रुटि पाई गई है जो संबंधित है पिछले वित्तीय वर्ष के नवम्बर माह से संबंधित। इस स्थिति में, पिछले वित्तीय वर्ष के नवम्बर माह में हुए लेन-देन से संबंधित किसी भी त्रुटि को चालू वित्तीय वर्ष में 15 अगस्त के बाद सुधार नहीं किया जा सकता।



यह ध्यान देने योग्य है कि संशोधन करने की समय सीमा जो भाग 37(3) [जीएसटीआर -1] के अंतर्गत निर्धारित है, उसमें 'नियत तिथि' शब्द अनुपस्थित है। अतः, यह तिथि स्पष्ट रूप से दाखिल करने की वास्तविक तिथि को दर्शाती है, नियत तिथि को नहीं।

(ख) शून्य जीएसटीआर-1 [नियम 67ए]

सभी सामान्य और आकस्मिक करदाताओं के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करना अनिवार्य है, भले ही किसी विशेष कर अवधि में कोई व्यावसायिक गतिविधि न हुई हो। ऐसी कर अवधि के लिए नियम 67ए के तहत निर्दिष्ट शून्य जीएसटीआर-1 दाखिल करना आवश्यक है।

शून्य जीएसटीआर-1 में कोई प्रविष्टि नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि करदाता ने किसी कर अवधि में कोई आउटवर्ड सप्लाई (जिसमें छूट प्राप्त, शून्य दर या गैर-जीएसटी आपूर्ति शामिल हो) की है, या उसे ऐसी आपूर्ति प्राप्त हुई है जिस पर रिवर्स चार्ज के तहत कर देय है, या किसी पहले प्रस्तुत रिटर्न में घोषित आपूर्ति में संशोधन करने की आवश्यकता है, या किसी क्रेडिट/डेबिट नोट की घोषणा/संशोधन करना है, तो उस कर अवधि के लिए शून्य जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं किया जा सकता। शून्य जीएसटीआर-1 को निम्न माध्यम से दाखिल किया जा सकता है:

करदाता के पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके एसएमएस के माध्यम से। एसएमएस के माध्यम से प्रस्तुत जीएसटीआर-1 को पंजीकृत मोबाइल नंबर आधारित ओटीपी सुविधा द्वारा सत्यापित किया जाता है।

करदाता किसी भी समय उस कर अवधि के अगले माह की पहली तिथि से शून्य जीएसटीआर-1 दाखिल कर सकता है। उदाहरण के लिए, अप्रैल कैलेंडर माह के लिए जीएसटीआर-1, 1 मई से दाखिल किया जा सकता है। अप्रैल से जून तिमाही के लिए जीएसटीआर-1, 1 जुलाई से दाखिल किया जा सकता है।



★ जीएसटीआईएन की स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए चयन करने वाला करदाता सक्रिय अवधि के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करना होगा।

⊙ ऐसी परिस्थितियों में, जब किसी करदाता को किसी वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सामान्य करदाता से संघटक करदाता में परिवर्तित किया गया हो, तो जीएसटीआर-1 केवल उस अवधि के लिए दाखिल करने के लिए उपलब्ध होगा, जब करदाता सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत था। उक्त अवधि के लिए जीएसटीआर-1, विलंब से दाखिल किया गया भी हो, तब भी रूपांतरण से पूर्व की अवधि के चालानों को स्वीकार करेगा।

जीएसटी के तहत बिना किसी समस्या के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए करदाता को किन सावधानियों का पालन करना चाहिए?

जीएसटी के तहत सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, जीएसटीआर-1 में बाह्य आपूर्ति का विवरण समय पर अपलोड करना। इसे सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम तरीका इस बात पर निर्भर करेगा कि करदाता कितनी संख्या में बी2बी चालान जारी करता है।

यदि चालानों की संख्या कम हो, तो करदाता सभी जानकारी एक बार में अपलोड कर सकता है। हालांकि, यदि चालानों की संख्या अधिक हो, तो चालान (या डेबिट/क्रेडिट नोट) नियमित रूप से अपलोड किए जाने चाहिए।

**चालानों का
नियमित
अपलोड करना**

जीएसटी सामान्य पोर्टल चालानों का विवरण नियमित रूप से अपलोड करने की अनुमति देता है। रिटर्न वास्तव में प्रस्तुत किए जाने तक, सिस्टम करदाता को अपलोड किए गए चालानों के विवरण में संशोधन करने की भी सुविधा प्रदान करता है। अतः, करदाताओं के लिए यह हमेशा लाभकारी होगा कि वे चालानों को

नियमित रूप से अपलोड करें। अंतिम क्षण में की जाने वाली जल्दी अपलोडिंग को कठिन बनाती है और संभावित विफलता तथा डिफॉल्ट के उच्च जोखिम के साथ आती है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि करदाता अपने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनकी प्राप्त की गई आपूर्ति के चालानों के अपलोड होने का पालन करें। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आईटीसी बिना किसी परेशानी और विलंब के उपलब्ध हो।

प्राप्तकर्ता अपने आपूर्तिकर्ताओं को यह प्रोत्साहित

आपूर्तिकर्ताओं के साथ फॉलो-अप करें ताकि प्राप्त की गई आपूर्ति के चालान अपलोड किए जाएँ।

भी कर सकते हैं कि वे चालानों को नियत तिथि पर या उसके करीब अपलोड करने के बजाय नियमित रूप से अपलोड करें। सिस्टम प्राप्तकर्ताओं को यह देखने की अनुमति देगा कि उनके आपूर्तिकर्ताओं ने उनके संबंध में चालान अपलोड किए हैं या नहीं।


(xi) फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की अधिकतम समय सीमा [भाग 37(5)]

किसी कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाह्य आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अधिकतम समय सीमा, ऐसे विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से **3 वर्ष** है।

इस समय सीमा को सरकार द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, वहाँ निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, बढ़ाया जा सकता है।

4. प्राप्त की गई आपूर्ति और इनपुट कर क्रेडिट का विवरण सूचित करना [भाग 38 नियम 60 के साथ पढ़ें]

भाग 37(1) के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई बाह्य आपूर्ति का विवरण और अन्य निर्धारित आपूर्ति तथा आईटीसी का विवरण सहित **ऑटो-जनरेटेड विवरण** प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, निर्धारित फॉर्म और तरीके में, निर्धारित समय सीमा के भीतर, और निर्धारित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन।



**** फॉर्म जीएसटीआर-1 और रिटर्न में रिपोर्ट किए गए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में देयता में अंतर से निपटने की विधि [नियम 88 सी]**

आउटवर्ड सप्लाइ के विवरण में फॉर्म जीएसटीआर-1 (यदि कोई संशोधन हुआ हो तो फॉर्म जीएसटीआर-1ए में) और फॉर्म जीएसटीआर-3बी के बीच देयता में अंतर से निपटने की प्रणाली प्रदान करता है। तदनुसार, यदि किसी कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 के अनुसार कर देयता, उसी अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी के अनुसार कर देयता से किसी विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है, तो पंजीकृत व्यक्ति को पोर्टल पर इस अंतर की जानकारी दी जाएगी और उसे निर्देश दिया जाएगा कि वह या तो (i) अंतरित कर देयता ब्याज सहित चुकाए, या (ii) अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे, 7 दिनों की अवधि के भीतर।

जब तक करदाता या तो उक्त सूचना में निर्दिष्ट राशि जमा नहीं करता है या शेष बकाया राशि के किसी कारण को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रस्तुत नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को आगामी कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1/ आईएफएफ दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

नियम 88सी इस प्रकार है:

यदि किसी कर अवधि के संबंध में, किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 (यदि कोई संशोधन हुआ हो तो फॉर्म जीएसटीआर-1ए में) में या आईएफएफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत आउटवर्ड सप्लाइ के विवरण के अनुसार देय कर, उसी अवधि के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत फॉर्म जीएसटीआर-3बी के अनुसार देय कर की राशि से, उस राशि और प्रतिशत तक, जैसा कि परिषद द्वारा अनुशंसित किया जा सकता है, अधिक है, तो उक्त पंजीकृत व्यक्ति को इस अंतर की जानकारी दी जाएगी।

उक्त पंजीकृत व्यक्ति को विनिर्दिष्ट फॉर्म में, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा, तथा उक्त सूचना की एक प्रति उसके ई-मेल पते* पर भी भेजी जाएगी।

उक्त सूचना में, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच यह अंतर प्रदर्शित किया जाएगा और उसे निर्देशित किया जाएगा कि:

- (क) विनिर्दिष्ट फॉर्म के माध्यम से, भाग 50 के अंतर्गत ब्याज सहित अंतरित कर देयता का भुगतान करें; या
- (ख) उक्त देय कर में अंतर का स्पष्टीकरण सामान्य पोर्टल पर 7 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करें।

**ई-मेल पता जो पंजीकृत व्यक्ति ने पंजीकरण के समय या समय-समय पर संशोधित रूप में प्रदान किया है*

उक्त पंजीकृत व्यक्ति, उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर, या तो:

- (क) सूचना में निर्दिष्ट अंतरित कर देयता की राशि का, पूर्ण या आंशिक रूप से, भाग 50 के अंतर्गत ब्याज सहित भुगतान करें, और उसका विवरण सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करें; या
- (ख) सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें उस अंतरित कर देयता के उस भाग के संबंध में कारण शामिल हों, जो यदि कोई बकाया रहा हो।

7 दिनों की अवधि के भीतर।

यदि उक्त सूचना में निर्दिष्ट कोई राशि 7 दिनों की अवधि के भीतर अदा नहीं की जाती है, और यदि डिफॉल्ट पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, या प्रस्तुत स्पष्टीकरण या कारण उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, तो उक्त राशि को भाग 79¹⁰ के प्रावधानों के अनुसार वसूला जाएगा।

##फॉर्म जीएसटीआर-2बी और फॉर्म जीएसटीआर-3बी में उपलब्ध आई.टी.सी. में अंतर से निपटने की विधि [नियम 88डी]

नियम 88डी, करदाता को फॉर्म जीएसटीआर-3बी में आई.टी.सी. के अधिक लाभ के संबंध में, जो फॉर्म जीएसटीआर-2बी में रिपोर्ट किए गए आई.टी.सी. से किसी विशेष सीमा से अधिक है, प्रणाली-आधारित सूचना प्रदान करने और पोर्टल पर स्वयं-अनुपालन की सुविधा देने की प्रणाली प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप, नया नियम 88डी पेश किया गया है ताकि उन मामलों में पंजीकृत व्यक्ति को प्रणाली-आधारित सूचना दी जा सके जहाँ जीएसटीआर-3बी के अनुसार लिया गया आई.टी.सी. और जीएसटीआर-2बी के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. के बीच अंतर, परिषद द्वारा अनुशंसित राशि और प्रतिशत से अधिक हो। ऐसे मामलों में, पंजीकृत व्यक्ति को निर्देशित किया जाएगा कि वह लिया गया अतिरिक्त आई.टी.सी. ब्याज सहित चुकाए या उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे, और यदि इनमें से कोई कार्य नहीं किया जाता है, तो उक्त राशि भाग 73, भाग 74 या भाग 74ए¹¹ के अंतर्गत वसूल की जा सकती है।

यह प्रावधान करदाताओं के फॉर्म जीएसटीआर-3बी में लिए गए आई.टी.सी. और फॉर्म जीएसटीआर-2बी के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. में अंतर को नियंत्रित करके राजस्व की सुरक्षा में मदद करेगा और आई.टी.सी. असंगतियों को कम करेगा।

नया नियम 88डी इस प्रकार है:

यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी कर अवधि(ओं) के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में प्रस्तुत रिटर्न में लिया गया आई.टी.सी., स्वतः उत्पन्न विवरण पत्र में उपलब्ध आई.टी.सी. से अधिक है, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:

¹⁰ भाग 79 के प्रावधान - कर की वसूली - का अध्ययन अंतिम स्तर पर किया गया है।

¹¹ भाग 74ए में वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित उन मामलों के लिए प्रावधान निहित हैं, जो कर के अप्रदत्त / अल्प-भुगतान, या त्रुटिपूर्ण रूप से की गई वापसी, अथवा किसी भी कारण से गलत तरीके से प्राप्त / उपयोग की गई आई.टी.सी. के निर्धारण से संबंधित हैं। भाग 74ए के विस्तृत प्रावधानों का अध्ययन अंतिम स्तर पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भाग 73 और 74 के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की पूर्व अवधि से संबंधित कर निर्धारण के लिए लागू हैं।

यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी कर अवधि(ओं) के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में लिया गया आई.टी.सी., स्वतः उत्पन्न विवरण पत्र में उपलब्ध आई.टी.सी. से, निर्दिष्ट राशि और प्रतिशत तक अधिक है, तो उक्त पंजीकृत व्यक्ति को विनिर्दिष्ट फॉर्म में, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना दी जाएगी, तथा उक्त सूचना की एक प्रति उसके पंजीकरण के समय प्रदान किए गए या समय-समय पर संशोधित ई-मेल पते पर भी भेजी जाएगी। उक्त सूचना में यह अंतर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और उसे निर्देशित किया जाएगा कि -

- (क) उक्त फॉर्म जीएसटीआर-3बी में लिए गए अतिरिक्त आई.टी.सी. के बराबर राशि, भाग 50 के अंतर्गत देय ब्याज सहित, विनिर्दिष्ट फॉर्म के माध्यम से चुकाएँ; या
- (ख) सामान्य पोर्टल पर 7 दिनों की अवधि के भीतर उक्त आई.टी.सी. में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें।

उक्त पंजीकृत व्यक्ति, उक्त सूचना प्राप्त होने पर, या तो:

- (क) सूचना में निर्दिष्ट अतिरिक्त आई.टी.सी. की राशि का, पूर्ण या आंशिक रूप से, देय ब्याज सहित, विनिर्दिष्ट फॉर्म के माध्यम से भुगतान करें और उसका विवरण सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करें; या
- (ख) सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें उस अतिरिक्त आई.टी.सी. की राशि के संबंध में कारण शामिल हों, जो अभी भी अदा नहीं हुई है, 7 दिनों की अवधि के भीतर।

सूचना में निर्दिष्ट कोई राशि 7 दिनों की अवधि के भीतर अदा नहीं की जाती है, और यदि डिफॉल्ट पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कोई स्पष्टीकरण/कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, या प्रस्तुत स्पष्टीकरण/कारण उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, तो उक्त राशि भाग 73, भाग 74 या भाग 74¹² के प्रावधानों के अनुसार वसूल की जा सकेगी।

¹² भाग 74ए में वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित उन मामलों के लिए प्रावधान निहित हैं, जो कर के अप्रदत्त / अल्प-भुगतान, या त्रुटिपूर्ण रूप से की गई वापसी, अथवा किसी भी कारण से गलत तरीके से प्राप्त/उपयोग की गई आई.टी.सी. के निर्धारण से संबंधित हैं। भाग 74ए के विस्तृत प्रावधानों का अध्ययन अंतिम स्तर पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भाग 73 और 74, वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की पूर्व अवधि से संबंधित कर निर्धारण के लिए लागू हैं।

अंतर्वर्ती आपूर्तियों का विवरण ज्ञात करने का फॉर्म और विधि - जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-2बी

फॉर्म जीएसटीआर-2ए

फॉर्म जीएसटीआर-2ए - प्राप्तकर्ता के लिए स्वतः उत्पन्न केवल-पठन योग्य अंतर्वर्ती आपूर्तियों का विवरण पत्र है। यह विवरण पत्र वास्तविक समय (रीयल-टाइम) के आधार पर अपडेट होता है।

जीएसटीआर-2ए

आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 या फॉर्म जीएसटीआर-1ए में या आईएफएफ का उपयोग करके प्रस्तुत आउटवर्ड सप्लाई का विवरण संबंधित पंजीकृत व्यक्तियों (प्राप्तकर्ताओं) को फॉर्म जीएसटीआर-2ए में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, फॉर्म जीएसटीआर-4ए, कम्पोज़िशन करदाता के लिए अंतर्वर्ती आपूर्तियों का स्वतः उत्पन्न विवरण पत्र है।¹³

फॉर्म जीएसटीआर-5¹⁴ में प्रस्तुत गैर-निवासी करदाताओं (एनआरटीपी) द्वारा प्रस्तुत चालानों का विवरण, फॉर्म जीएसटीआर-7 में प्रतिधारक द्वारा प्रस्तुत टीडीएस का विवरण, और फॉर्म जीएसटीआर-8 में ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्रस्तुत टीसीएस का विवरण, प्राप्तकर्ता, प्रतिधारी या संबंधित व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त, माल के आयात पर या एसईजेड यूनिट/डेवलपर से डीटीए में लाए गए माल पर बिल ऑफ़ एंट्री के माध्यम से भुगतान किए गए आईजीएसटी का विवरण भी फॉर्म जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध कराया जाता है।

उक्त विवरण प्राप्तकर्ता के लिए देखने/डाउनलोड करने योग्य हो जाते हैं और जैसे ही आपूर्तिकर्ता अपने संबंधित रिटर्न/विवरण पत्र में किसी कर अवधि के लिए विवरण अपलोड या परिवर्तित करते हैं, यह क्रमिक रूप से अपडेट होते रहते हैं।

फॉर्म जीएसटीआर-2बी

फॉर्म जीएसटीआर-2बी - स्वतः उत्पन्न विवरण पत्र जिसमें योग्य आई.टी.सी. का विवरण होता है - प्रत्येक माह के लिए पंजीकृत व्यक्ति (प्राप्तकर्ता) को उपलब्ध कराया जाता है।

जीएसटीआर-2बी

यह एक स्थिर विवरण पत्र है और प्रति माह केवल एक बार ही उपलब्ध होता है।

¹³ आईएसडी के लिए अंतर्वर्ती आपूर्तियों का स्वतः उत्पन्न विवरण पत्र जीएसटीआर-6ए है। आईएसडी से संबंधित प्रावधानों पर अंतिम स्तर पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है।

¹⁴ आईएसडी द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-6 में प्रस्तुत चालानों का विवरण भी प्राप्तकर्ता को जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध कराया जाता है।

यह निम्नलिखित से बना होता है -

- (i) पिछले माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तिथि के तुरंत बाद के दिन से लेकर उस माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक, क्यूआरएमपी योजना का विकल्प न चुनने वाले आपूर्तिकर्ताओं द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत आउटवर्ड सप्लाई का विवरण।
- (ii) गैर-निवासी करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-5¹⁵ में प्रस्तुत चालानों का विवरण और उनके आपूर्तिकर्ता द्वारा, जिन्होंने क्यूआरएमपी योजना का विकल्प चुना है, फॉर्म जीएसटीआर-1 में या आईएफएफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत आउटवर्ड सप्लाई का विवरण, जैसे कि मामला हो।
 - (क) त्रैमासिक के पहले माह के लिए, पिछले त्रैमासिक के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तिथि के तुरंत बाद के दिन से लेकर त्रैमासिक के पहले माह के लिए आईएफएफ का उपयोग करके विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक;
 - (ख) त्रैमासिक के दूसरे माह के लिए, त्रैमासिक के पहले माह के लिए आईएफएफ का उपयोग करके विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि के तुरंत बाद के दिन से लेकर त्रैमासिक के दूसरे माह के लिए आईएफएफ का उपयोग करके विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक;
 - (ग) त्रैमासिक के तीसरे माह के लिए, त्रैमासिक के दूसरे माह के लिए आईएफएफ का उपयोग करके विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि के तुरंत बाद के दिन से लेकर त्रैमासिक के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक।
- (iii) पिछली कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तिथि के तुरंत बाद के दिन से लेकर वर्तमान कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक, उनके आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1ए में प्रस्तुत आउटवर्ड सप्लाई के विवरण में अतिरिक्त जानकारी या संशोधन।
- (iv) उस माह में माल के आयात पर या एसईजेड यूनिट/डेवलपर से डीटीए में लाए गए माल पर बिल ऑफ़ एंटी के माध्यम से भुगतान किए गए आईजीएसटी का विवरण।

फॉर्म जीएसटीआर-2बी में सभी दस्तावेज शामिल होते हैं जो आपूर्तिकर्ताओं/आईएसडी द्वारा उनके फॉर्म जीएसटीआर-1, 5 और 6 में कट-ऑफ तिथियों के बीच प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें उस अवधि के लिए आयात डेटा भी शामिल होता है, जो अगले माह की 13 तारीख तक प्राप्त होता है। मासिक फॉर्म जीएसटीआर-1 के मामले में,

¹⁵ आईएसडी द्वारा अपने रिटर्न में जीएसटीआर-6 में प्रस्तुत चालानों का विवरण भी जीएसटीआर-2बी में परिलक्षित होता है। आईएसडी से संबंधित प्रावधानों पर अंतिम स्तर पर चर्चा की जाएगी।

कट-ऑफ तिथि, संबंधित माह की 12 तारीख को 00:00 बजे से अगले माह की 11 तारीख को 23:59 बजे तक होती है। जबकि त्रैमासिक फॉर्म जीएसटीआर-1/आईएफएफ, फॉर्म जीएसटीआर-5 और फॉर्म जीएसटीआर-6 के लिए, कट-ऑफ तिथि संबंधित माह की 14 तारीख को 00:00 बजे से अगले माह की 13 तारीख को 23:59 बजे तक होती है।

फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-5 (आपूर्तिकर्ता द्वारा) तथा फॉर्म जीएसटीआर-6 (आईएसडी द्वारा) में प्रस्तुत विवरण, आपूर्तिकर्ता/आईएसडी की फ़ाइलिंग तिथि से स्वतंत्र रूप से, प्राप्तकर्ता के अगले खुले फॉर्म जीएसटीआर-2बी में परिलक्षित होंगे।



(8) यदि क्यूआरएमपी का विकल्प चुनने वाला आपूर्तिकर्ता 15 जुलाई की तारीख वाला चालान 13 अगस्त को फाइल करता है, तो यह जुलाई के जीएसटीआर-2बी (जो 14 अगस्त को उत्पन्न होता है) में परिलक्षित होगा।

प्रति माह फॉर्म जीएसटीआर-2बी में विवरण पत्र पंजीकृत व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराया जाएगा,—

(क) त्रैमासिक के पहले और दूसरे माह के लिए, उक्त माह के आउटवर्ड सप्लाई का विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि के अगले दिन,

- क्यूआरएमपी का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आईएफएफ में, या
- क्यूआरएमपी का विकल्प न चुनने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में, जो भी बाद में हो।

(ख) त्रैमासिक के तीसरे माह में, उक्त माह के आउटवर्ड सप्लाई का विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि के अगले दिन, क्यूआरएमपी का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में।



(9) जुलाई-सितंबर त्रैमासिक के लिए, वह पंजीकृत व्यक्ति (प्राप्तकर्ता) जिसने क्यूआरएमपी आपूर्तिकर्ताओं तथा अन्य आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति प्राप्त की है, उसके लिए फॉर्म जीएसटीआर-2बी निम्नलिखित प्रकार से उत्पन्न किया जाएगा:

माह	जीएसटीआर-2बी उत्पन्न करने की तिथि
जुलाई	14 अगस्त
अगस्त	14 सितंबर
सितंबर	14 अक्टूबर



5. भाग 39 के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करना

1. जीएसटीआर-3बी [भाग 39(1) के साथ नियम 61 एवं 61ए का संयुक्त अध्ययन]

(क) रिटर्न दाखिल करने के लिए पात्र व्यक्ति [भाग 39(1)]

भाग 39(1) प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के लिए मासिक रिटर्न का प्रावधान करती है, सिवाय इसके कि वह कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, गैर-निवासी करदाता, कम्पोज़िशन करदाता, स्रोत पर कर कटौती करने वाला व्यक्ति, स्रोत पर कर वसूल करने वाला व्यक्ति अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, या गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित ओआईडीएआर सेवाओं का प्रदाता हो, जो ऐसी सेवाएँ गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता को प्रदान करता हो; रिटर्न ऐसे फॉर्म और विधि में, और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।



हालाँकि, सरकार परिषद की सिफारिशों पर, कुछ पंजीकृत व्यक्तियों की ऐसी श्रेणी को अधिसूचित कर सकती है, जो प्रत्येक त्रैमासिक या उसके किसी भाग के लिए रिटर्न प्रस्तुत करेंगे, निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन। इस उप-भाग के तहत, क्यूआरएमपी योजना को अधिसूचित किया गया है, जिस पर परवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

(ख) रिटर्न का फॉर्म जीएसटीआर-3बी में दाखिल किया जाना

जीएसटीआर-3बी, भाग 39 के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट फॉर्म है। इसमें आउटवर्ड सप्लाई का सारांश, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आने वाली अंतर्वर्ती आपूर्ति, योग्य आई.टी.सी., कर का भुगतान आदि शामिल होते हैं। अतः, जीएसटीआर-3बी में आउटवर्ड सप्लाई के चालान-वार विवरण की आवश्यकता नहीं होती।

जीएसटीआर-3बी को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से। इसके अतिरिक्त, शून्य जीएसटीआर-3बी को करदाता के पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके एसएमएस के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जीएसटीआर-3बी मासिक या त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ग) रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि

- (1) **मासिक जीएसटीआर-3बी** - उस माह के अगले माह की 20 तारीख तक, जिसके लिए रिटर्न प्रस्तुत किया गया है।
- (2) **त्रैमासिक जीएसटीआर-3बी** - उस त्रैमासिक के अगले माह की 22 या 24 तारीख तक, जिसके लिए रिटर्न प्रस्तुत किया गया है, यदि करदाता क्यूआरएमपी योजना का विकल्प चुनता है (नीचे चर्चा की गई है)।

(घ) त्रैमासिक रिटर्न् मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) योजना

त्रैमासिक रिटर्न् मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) योजना एक व्यापार सुविधा उपाय है,

त्रैमासिक रिटर्न्

जो व्यवसाय संचालन की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाता है।

मासिक भुगतान

क्यूआरएमपी योजना एक **ऐच्छिक रिटर्न् दाखिल करने की योजना** है, जिसे उन छोटे करदाताओं के लिए पेश किया गया है जिनका कुल वार्षिक कारोबार (पी ए एन आधारित) पिछले वित्तीय वर्ष में ₹5 करोड़ तक है, ताकि वे **अपना फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत करते हुए, कर का भुगतान मासिक आधार पर सरल चालान के माध्यम से कर सकें।**

इससे ऐसे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि अब उन्हें वर्ष में 12 जीएसटीआर-3बी रिटर्न् की बजाय केवल रिटर्न् दाखिल करने होंगे। इसी

प्रकार, उन्हें केवल 4 जीएसटीआर-1 रिटर्न् ही दाखिल करने होंगे, क्योंकि इस योजना के तहत इनवॉइस फाइलिंग सुविधा (आईएफएफ) प्रदान की गई है।

क्यूआरएमपी योजना जीएसटीएन -वार है।

क्यूआरएमपी योजना का विकल्प **जीएसटीआईएन-वार** है। अलग-अलग व्यक्ति एक या अधिक जीएसटीआईएन के लिए क्यूआरएमपी योजना का विकल्प ले सकते हैं। इसका अर्थ है कि किसी एक पीएन के कुछ जीएसटीआईएन क्यूआरएमपी योजना का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि शेष जीएसटीआईएन उक्त योजना का विकल्प नहीं चुन सकते।

(क) क्यूआरएमपी योजना के लिए पात्रता

पंजीकृत व्यक्ति¹⁶, जिनका कुल कारोबार पिछले वित्तीय वर्ष में ₹5 करोड़ तक है, और जिन्होंने **क्यूआरएमपी योजना¹⁷** के तहत त्रैमासिक रिटर्न् प्रस्तुत करने का विकल्प चुना है, अर्थात् वे ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें **प्रत्येक त्रैमासिक के लिए रिटर्न् प्रस्तुत करना** होगा और **प्रत्येक माह देय कर का भुगतान करना** होगा।¹⁸

अतः, ऐसे करदाता जिनका कुल कारोबार पिछले वित्तीय वर्ष में ₹5 करोड़ तक है, क्यूआरएमपी योजना के लिए पात्र हैं। कुल कारोबार की गणना करने के लिए,

¹⁶ गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित और ऐसी सेवाएँ किसी गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता को प्रदान करने वाले ऑनलाइन सूचना एवं डेटाबेस एक्सेस या पुनःप्राप्ति सेवाओं(ओआईडीएआर) के प्रदाता को छोड़कर

¹⁷ सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 61ए के तहत विकल्पित


¹⁸ भाग 39(7) के उपविधान के अनुसार

पिछले वित्तीय वर्ष की कर अवधियों के लिए रिटर्न में प्रस्तुत विवरणों को ध्यान में रखा जाएगा।

क्यूआरएमपी योजना के लिए विकल्प लेने के पात्र होने की शर्तें पूरी की जानी चाहिए


क्यूआरएमपी योजना के तहत पंजीकृत व्यक्तियों ने उस विकल्प का उपयोग करने की तिथि तक, पूर्ववर्ती माह का रिटर्न प्रस्तुत कर दिया होना आवश्यक है।

यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने **उस विकल्प का उपयोग करने की तिथि तक देय अंतिम रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है**, तो वह क्यूआरएमपी योजना के लिए विकल्प लेने के योग्य नहीं होगा।

 यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति 'जुलाई से सितंबर' तिमाही के लिए क्यूआरएमपी योजना का लाभ लेने का इच्छुक है और उक्त तिमाही के लिए 27 जुलाई को अपना विकल्प उपयोग कर रहा है, तो उसे जून माह का रिटर्न प्रस्तुत किया होना चाहिए, जो 20 जुलाई को देय था।

(ख) क्यूआरएमपी योजना के विकल्प का उपयोग करने की विधि

किसी भी तिमाही के लिए क्यूआरएमपी योजना का विकल्प लेने वाला पंजीकृत व्यक्ति उस तिमाही के रिटर्न को त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत करने की अपनी प्राथमिकता, पूर्ववर्ती तिमाही के दूसरे माह की पहली तिथि से उस तिमाही के पहले माह की अंतिम तिथि तक स्पष्ट करेगा, जिसके लिए विकल्प उपयोग किया जा रहा है।

 **(11)** 'जुलाई से सितंबर' तिमाही के लिए क्यूआरएमपी योजना का लाभ लेने वाला पंजीकृत व्यक्ति 1 मई से 31 जुलाई तक अपना विकल्प उपयोग कर सकता है।

इस विकल्प को प्रत्येक तिमाही में उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

क्यूआरएमपी योजना के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को यह विकल्प प्रत्येक तिमाही में उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब यह विकल्प उपयोग किया जा चुका हो, तो भविष्य की कर अवधियों के लिए वे चयनित विकल्प के अनुसार रिटर्न प्रस्तुत करना जारी रखेंगे, जब तक कि वे उक्त विकल्प को संशोधित न करें।

इसके अतिरिक्त, एक बार जब यह विकल्प उपयोग किया जा चुका हो, तो उक्त पंजीकृत व्यक्ति भविष्य की कर अवधियों के लिए त्रैमासिक आधार पर रिटर्न प्रस्तुत करना जारी रखेगा, जब तक कि वह-

(क) इस योजना के लिए अधिसूचित शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार अयोग्य न हो जाए; या

(ख) सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मासिक आधार पर रिटर्न् प्रस्तुत करने का विकल्प न चुने।

(ग) क्यूआरएमपी योजना का विकल्प समाप्त होना

यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति का समग्र टर्नओवर किसी वित्तीय वर्ष की किसी तिमाही के दौरान ₹5 करोड़ को पार कर जाता है, तो वह आगामी तिमाही के पहले माह से त्रैमासिक आधार पर रिटर्न् प्रस्तुत करने के योग्य नहीं होगा।

वह उस तिमाही के पहले माह से, जिसके दौरान उसका समग्र टर्नओवर ₹5 करोड़ से अधिक हो जाता है, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मासिक आधार पर रिटर्न् प्रस्तुत करने का विकल्प चुनेगा।

किसी तिमाही के लिए योजना से बाहर निकलने का विकल्प, पूर्ववर्ती तिमाही के दूसरे माह की पहली तिथि से उस तिमाही के पहले माह की अंतिम तिथि तक उपलब्ध होगा।

(घ) क्यूआरएमपी योजना के तहत रिटर्न् प्रस्तुत करने का स्वरूप और विधि - जीएसटीआर-3बी क्यूआरएमपी योजना का विकल्प चुनने वाले करदाता के लिए रिटर्न् प्रस्तुत करने की देय तिथि - त्रैमासिक जीएसटीआर-3बी उस तिमाही के अगले माह की 22वीं या 24वीं तिथि तक (विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें**।)

****क्यूआरएमपी योजना का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के लिए देय तिथियाँ**

पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग	देय तिथि
उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जिनका मुख्य व्यवसाय स्थल निम्न राज्यों में है: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिल नाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश; और केंद्रशासित प्रदेश: दमन एवं दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप।	उक्त तिमाही के अगले माह की 22वीं तिथि तक।
उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जिनका मुख्य व्यवसाय स्थल निम्न राज्यों में है: हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड,	उक्त तिमाही के अगले माह की 24वीं तिथि तक।

हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या ओडिशा, और केंद्रशासित प्रदेश: जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली।

(ड) शून्य जीएसटीआर-3बी

सभी सामान्य और आकस्मिक करदाताओं के लिए जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, भले ही किसी विशेष कर अवधि में कोई व्यवसायिक गतिविधि न हो। ऐसी कर अवधि के लिए शून्य जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

शून्य जीएसटीआर-3बी में उसके किसी भी तालिका में कोई प्रविष्टि नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि करदाता ने किसी कर अवधि के दौरान कोई बाह्य आपूर्ति की है (जिसमें शून्य दर, छूटप्राप्त या गैर-जीएसटी आपूर्ति शामिल है) या उसने कोई ऐसी आपूर्ति प्राप्त की है जिस पर रिवर्स चार्ज के तहत कर लागू है, या वह आईटीसी लेने का इरादा रखता है, तो उस कर अवधि के लिए शून्य जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

शून्य जीएसटीआर-3बी करदाता के पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके एसएमएस के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। एसएमएस के माध्यम से प्रस्तुत जीएसटीआर-3बी का सत्यापन पंजीकृत मोबाइल नंबर आधारित ओटीपी सुविधा के द्वारा किया जाता है।

करदाता शून्य जीएसटीआर-3बी किसी भी समय उस अगले माह/तिमाही की पहली तिथि के बाद प्रस्तुत कर सकता है, जिसके लिए रिटर्न प्रस्तुत किया जा रहा है।

(घ) फॉर्म जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करने की अधिकतम समय-सीमा [भाग 39(11)]

किसी कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करने की अधिकतम समय-सीमा, उक्त रिटर्न प्रस्तुत करने की देय तिथि से 3 वर्ष है।

इस समय-सीमा को सरकार किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए, उसमें निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन बढ़ा सकती है।

(छ) जीएसटीआर-3बी के प्रमुख विवरण

जीएसटीआर-3बी के प्रमुख विवरण नीचे दिए गए हैं।

जीएसटीआर-3बी के विवरण

मूल विवरण	आपूर्तियों से संबंधित अन्य विवरण
<ul style="list-style-type: none"> • जीएसटीआईएन • पंजीकृत व्यक्ति का वैधानिक नाम • वर्ष और माह/तिमाही 	<ul style="list-style-type: none"> • बाह्य आपूर्ति और रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आने वाली आंतरिक आपूर्ति का संक्षिप्त विवरण • अ-पंजीकृत व्यक्तियों, संयोजन करदाता और यूआईएन धारकों को की गई अंतर-राज्य आपूर्ति का संक्षिप्त विवरण • पात्र और अ-पात्र आईटीसी • छूटप्राप्त, शून्य-दर और गैर-जीएसटी आंतरिक आपूर्ति का मूल्य • कर का भुगतान • टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट

(ज) त्रुटियों/उल्लेखों का सुधार [भाग 39(9)]

जीएसटी में चूंकि रिटर्न व्यक्तिगत लेन-देन के विवरणों से तैयार किए जाते हैं, इसलिए पुनः प्रस्तुत रिटर्न की आवश्यकता नहीं होती। रिटर्न को संशोधित करने की आवश्यकता तब उत्पन्न हो सकती है जब कुछ चालान या डेबिट/क्रेडिट नोट में परिवर्तन करना आवश्यक हो। पहले से प्रस्तुत रिटर्न को संशोधित करने के बजाय, सिस्टम उन लेन-देन (चालान या डेबिट/क्रेडिट नोट) के विवरण बदलने की सुविधा देता है जिन्हें संशोधित किया जाना आवश्यक है। इन्हें भविष्य के किसी भी जीएसटीआर-1 में संशोधित किया जा सकता है, जहाँ विशेष रूप से पहले घोषित विवरणों को संशोधित करने के लिए तालिकाएँ प्रदान की गई हैं।

भाग 39 के अंतर्गत प्रस्तुत रिटर्न में पाई गई कोई भी अनदेखी या गलत विवरण, उस कर अवधि के रिटर्न में सुधारी जा सकती है, जिसके दौरान उक्त अनदेखी या गलत विवरण का पता चलता है।

ऐसी त्रुटि या अनदेखी के परिणामस्वरूप देय कोई भी कर, ब्याज के साथ भुगतान करना आवश्यक होगा।

अपवाद

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भाग 39(9) कर अधिकारियों द्वारा किए गए परीक्षण, लेखा परीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन गतिविधियों के कारण पाए गए त्रुटि या चूक को सुधारने की अनुमति नहीं देती है।

अतः करदाता उपरोक्त किसी भी परिस्थितियों के अंतर्गत किए गए कर भुगतान के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्तकर्ता को स्थानांतरित नहीं कर पाएगा।

सुधार करने की समय सीमा

त्रुटियों/चूकों के सुधार की अधिकतम समय सीमा निम्नलिखित तिथियों में से जो पहले हो, उसके अनुसार होगी:

- उस वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पश्चात आने वाली नवम्बर माह की 30वीं तिथि, जिससे संबंधित विवरण संबंधित हों, या
- संबंधित वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की वास्तविक तिथि

किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अगले वित्तीय वर्ष की 31 दिसंबर है।

अतः, यदि किसी वित्तीय वर्ष का वार्षिक रिटर्न 30 नवम्बर (अगले वित्तीय वर्ष का) से पहले दाखिल कर दिया जाता है, तो इसके पश्चात उक्त वित्तीय वर्ष से संबंधित रिटर्न में त्रुटियों/चूकों का कोई सुधार अनुमति प्राप्त नहीं होगा।



★ भाग 39(1) के तहत प्रस्तुत रिटर्न्, जिस पर स्वयं आकलित कर पूरी तरह से अदा किया गया हो, वैध रिटर्न् माना जाएगा।

⊕ चालू माह के लिए रिटर्न् दाखिल करना केवल तभी संभव है जब करदाता द्वारा किसी भी पूर्व कर अवधि के रिटर्न् और उक्त कर अवधि के लिए जीएसटीआर -1 दाखिल किया गया हो।¹⁹

★ करदाता को प्रस्तुत रिटर्नों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करना आवश्यक है, अन्यथा इसे दाखिल नहीं किया गया माना जाएगा।

★ करदाता अपने रिटर्नों पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर निम्नलिखित माध्यमों से कर सकते हैं: डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) - सभी प्रकार की कंपनियों और एलएलपीएस के लिए अनिवार्य, ई-साइन (आधार आधारित ओटीपी सत्यापन), ईवीसी (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया)

2. जीएसटीआर-4 - संरचनात्मक करदाता के लिए रिटर्न् [भाग 39(2) और भाग 39(7) के द्वितीय उपप्रावधान के साथ नियम 62 पढ़ें]

(क) रिटर्न् दाखिल करने के पात्र व्यक्ति, आवृत्ति और रिटर्न् का फॉर्म

संरचनात्मक करदाता (भाग 10 के प्रावधानों) के तहत कर अदा करने वाला पंजीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कारोबार, माल और/या सेवाओं की आंतरिक आपूर्ति, देय कर, अदा किए गए कर और अन्य विवरणों का रिटर्न् इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस फॉर्म और तरीके से तथा उस समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करेगा, जैसा कि नियमों में निर्धारित किया गया हो।



भाग 10 के तहत कर अदा करने वाला प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, अर्थात् संरचनात्मक करदाता, को वार्षिक आधार पर **फॉर्म जीएसटीआर-4** में रिटर्न् दाखिल करना अनिवार्य है।

किसी वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष के भाग के लिए जीएसटीआर-4 रिटर्न् सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से, सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से, दाखिल किया जाना चाहिए।

¹⁹ सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उसमें निर्दिष्ट की जा सकने वाली शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों की किसी श्रेणी को रिटर्न् दाखिल करने की अनुमति दे सकती है, भले ही उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के रिटर्न् दाखिल नहीं किए हों या उक्त कर अवधि के लिए भाग 37(1) के तहत बाह्य आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया हो [भाग 39(10) का उपप्रावधान]।

स्व-मूल्यांकित कर के भुगतान हेतु त्रैमासिक विवरण

प्रत्येक संरचना करदाता को सरकार को उस त्रैमासिक अवधि के दौरान राज्य या संघ शासित प्रदेश में कारोबार, वस्तुओं या सेवाओं की इनवर्ड सप्लाई या दोनों, देय कर, और अन्य आवश्यक विवरणों को ध्यान में रखते हुए कर का भुगतान करना होगा, वह भी उस



प्रपत्र और विधि में तथा उस समय सीमा के भीतर, जैसा कि नियमों में निर्धारित किया गया हो।



हालांकि एक संरचना करदाता को जीएसटीआर-4 रिटर्न वार्षिक आधार पर दाखिल करनी होती है, उसे कर का भुगतान त्रैमासिक आधार पर करना अनिवार्य है।

संरचना करदाता को प्रत्येक त्रैमासिक (या त्रैमासिक के किसी भाग) के लिए स्व-मूल्यांकित कर के भुगतान का विवरण प्रस्तुत करते हुए फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण दाखिल करना अनिवार्य है। यह विवरण उस त्रैमासिक के अगले महीने की 18वीं तिथि तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ख) फॉर्म जीएसटीआर -4 और फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 दाखिल करने की अंतिम तिथि किसी वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटीआर-4 अगले वित्तीय वर्ष²⁰ की 30 जून तक दाखिल किया जाना चाहिए।

किसी वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटीआर -4 दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून होती है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में आती है।



उक्त वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक।

स्व-मूल्यांकित कर के भुगतान हेतु त्रैमासिक विवरण जीएसटी सीएमपी -08 उस त्रैमासिक के अगले महीने की 18वीं तिथि तक दाखिल किया जाना चाहिए।

तिमाही के लिए जीएसटी सीएमपी-08 दाखिल करने की अंतिम तिथि



ऐसी तिमाही के बाद वाले महीने की 18 तारीख तक

²⁰ आर्थिक वर्ष 2024-25 से लागू।

(ग) जीएसटीआर-4 में किस प्रकार के सप्लाई विवरण प्रस्तुत करने होते हैं?

जीएसटीआर-4 में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे—

(क) पंजीकृत और अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त इंटर-स्टेट और इन्ट्रा-स्टेट इनवर्ड सप्लाई का चालान-वार विवरण; और

(ख) किए गए आउटवर्ड सप्लाई का संक्षिप्त (संकलित) विवरण।

(घ) जीएसटीआर-4ए में इनवर्ड सप्लाई का स्वतः पूर्ति

जो पंजीकृत व्यक्ति जीएसटीआर-1 दाखिल करते हैं, उनसे संरचना करदाता को प्राप्त इनवर्ड सप्लाई का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-4ए में स्वतः पूर्ति के रूप में दिखाया जाएगा।

□ आउटवर्ड सप्लाई का संकलित विवरण

संरचना करदाता न तो किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के पात्र होते हैं और न ही किसी आईटीसी को अपने ग्राहकों को पास कर सकते हैं। इसलिए, संरचना करदाताओं को जीएसटीआर-4 में आउटवर्ड सप्लाई का संकलित विवरण (तालिका 6) प्रस्तुत करना आवश्यक है, न कि चालान-वार विवरण। हालाँकि, पंजीकृत और अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त इंटर-स्टेट और इन्ट्रा-स्टेट इनवर्ड सप्लाई का विवरण चालान-वार (तालिका 4) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

कर देयता

चूंकि संरचना करदाता आईटीसी लेने के पात्र नहीं हैं, इसलिए वे अपनी कर देयता केवल इलेक्ट्रॉनिक केश लेजर को डेबिट करके ही चुकाते हैं।

(ङ) शून्य जीएसटी सीएमपी-08 [नियम 67ए]

संरचना योजना के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले सभी करदाताओं के लिए जीएसटी सीएमपी -08 दाखिल करना अनिवार्य है, भले ही किसी विशेष कर अवधि में कोई व्यावसायिक गतिविधि न हुई हो। ऐसे कर अवधि(यों) के लिए शून्य जीएसटी सीएमपी -08 दाखिल करना आवश्यक है।

एक शून्य जीएसटी सीएमपी -08 में किसी भी तालिका में कोई प्रविष्टि नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि करदाता ने कोई आउटवर्ड सप्लाई की हो या किसी प्राप्त सप्लाई पर रिवर्स चार्ज के तहत कर देय हो, तो उस कर अवधि के लिए शून्य जीएसटी सीएमपी -08 दाखिल नहीं किया जा सकता।

एक शून्य जीएसटी सीएमपी-08 करदाता के पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके एसएमएस के माध्यम से दाखिल किया जा सकता है। एसएमएस के माध्यम से जमा की गई शून्य जीएसटी सीएमपी-08 को पंजीकृत मोबाइल नंबर आधारित ओटीपी सुविधा द्वारा सत्यापित किया जाता है।

(च) जीएसटीआर-4 की व्यापक सामग्री

जीएसटीआर-4 की व्यापक सामग्री निम्नलिखित रूप में है।

जीएसटीआर की सामग्री - 4

मूल और अन्य विवरण	इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाय के संबंध में विवरण
<ul style="list-style-type: none"> जीएसटीआईएन कानूनी नाम और व्यावसायिक नाम प्राप्त टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट [तालिका 7] देय और भुगतान किया गया कर, ब्याज, विलंब शुल्क [तालिका 8] इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर द्वारा बंधक बनाने का दावा किया गया [तालिका 9] 	<ul style="list-style-type: none"> सभी इनवर्ड रॉकेट का पेट्रो-वार विवरण (अर्थात् इंटर-स्टेट और इंटरनेट-स्टेट स्टेरॉयड और पंजीकृत और अपंजीकृत भाषाओं से प्राप्त स्टेरॉयड), जिसमें रिवर्स चार्ज स्टेरॉयड और सेवाओं का हिस्सा शामिल है [तालिका 4] जीएसटी सीएमपी-08 के अनुसार स्व-मानकित कर देयता का रूप रेखा विवरण (एग्रीम भुगतान, क्रेडिट एवं डेबिट नोट और संशोधनों आदि के कारण अन्य एडागेट्स को बाजार) [तालिका 5] आउटवर्ड ओल्ड ओल्ड ओल्ड ओल्ड ओल्ड ओल्ड क्रेडिट नोट और संशोधनों का विवरण (तालिका 6)

(छ) संरचना योजना को अपनाने से पूर्व की अवधि के लिए विवरण/रिटर्न


यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष की शुरुआत से संरचना योजना के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनता है, तो उसे आवश्यक होने पर संरचना योजना अपनाने से पूर्व की अवधि से संबंधित विवरण/रिटर्न दाखिल करना होगा, वह भी

- अगले वित्तीय वर्ष के सितंबर माह की रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि तक, या
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिटर्न दाखिल करने तक, जो भी पहले हो।

करदाता उस अवधि के लिए इनवॉइस या डेबिट नोट प्राप्त करने के लिए आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ नहीं उठाएगा, जब तक कि वह संरचनात्मक योजना के तहत कर का भुगतान शुरू नहीं कर देता।

(ज) संरचना योजना से बाहर निकलने से पूर्व की अवधि के लिए जीएसटीआर-4

यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति स्वेच्छा से संरचना योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है या जब विकल्प उचित अधिकारी के निर्देश पर वापस लिया जाता है, तो उसे आवश्यक होने पर निम्नलिखित विवरण दाखिल करना होगा—




उपरोक्त बिंदु (एफ) और (जी) में वर्णित प्रावधानों को अगले पृष्ठ पर दिए गए आरेख के माध्यम से समझाया गया है:

²¹ जैसा कि पहले कहा गया है, फॉर्म जीएसटीआर -4 दाखिल करने की नियत तिथि उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद का 30 जून होगी, वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रभावी।

भाग 29(2) के अनुसार, एक उचित अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी करदाता का पंजीकरण रद्द कर सकता है यदि, अन्य बातों के साथ:

- समेकित योजना के अंतर्गत कर देने वाला व्यक्ति यदि अपने जीएसटीआर-4 को उस वित्तीय वर्ष के लिए नियत तिथि से 3 महीने से अधिक समय बाद प्रस्तुत करता है, तो।
- कोई अन्य करदाता यदि ऐसी लगातार कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है, जैसी कि निर्धारित की जा सकती है।



3. जीएसटीआर-५ - गैर-निवासी करयोग्य व्यक्तियों के लिए विवरणी [भाग39(5) सहपठित नियम 63]

गैर-निवासी करयोग्य व्यक्ति (एनआरटीपीएस) वे आपूर्तिकर्ता होते हैं जिनका भारत में कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं होता तथा जो भारत में अल्प अवधि के लिए आपूर्ति करने आते हैं। वे सामान्यतः अपने उत्पादों का भारत में आयात करते हैं और स्थानीय आपूर्ति करते हैं। *गैर-निवासी करयोग्य व्यक्ति की संकल्पना का विस्तृत विवेचन अध्ययन सामग्री के इस मॉड्यूल के अध्याय 9 - पंजीकरण में किया गया है।*

(क) मासिक विवरणी

पंजीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को बाह्य आपूर्तियों का विवरण तथा वह विवरणी, जो अन्यथा एक सामान्य करदाता के लिए लागू होती है, दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके स्थान पर, प्रत्येक कैलेंडर माह या उसके किसी भाग के लिए अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए **फॉर्म जीएसटीआर-5** में एक सरल मासिक कर



विवरणी निर्धारित की गई है। एनआरटीपी की बाह्य आपूर्तियों और आंतरिक आपूर्तियों का विवरण **जीएसटीआर-5** में सम्मिलित किया जाता है।

(ख) विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि

जीएसटीआर-5 उस कैलेंडर माह की समाप्ति के बाद **13 दिनों** के भीतर या पंजीकरण की वैधता अवधि की अंतिम तिथि के **7 दिनों के भीतर**, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए²²।

(ग) ब्याज, दंड, शुल्क या कोई अन्य देय राशि का भुगतान

एनआरटीपी को **जीएसटीआर-5** दाखिल करने की अंतिम तिथि तक **सीजीएसटी अधिनियम** के अंतर्गत या **सीजीएसटी नियमों के रिटर्न अध्याय** के प्रावधानों के तहत देय कर, ब्याज, दंड, शुल्क या कोई अन्य राशि का भुगतान करना चाहिए।

²² नियम 63 के अनुसार, **जीएसटीआर-5** कर अवधि की समाप्ति के बाद **20 दिनों के भीतर** या पंजीकरण की वैधता अवधि की अंतिम तिथि के **7 दिनों के भीतर**, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



एनआरटीपी को वार्षिक विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

4. जीएसटीआर-7 - स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए विवरणी [भाग39(3) नियम 66 के साथ पढ़ी गई]

सामान्यतः, जब भी कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति किसी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग/संस्था, स्थानीय प्राधिकरण, या सरकारी एजेंसियों को की जाती है, तो प्राप्तकर्ता को भाग 51 के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने की आवश्यकता होती है, यदि ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य ₹2,50,000 से अधिक होता है।

(ग) मासिक विवरणी

कटौतीकर्ता को प्रत्येक माह में किए गए कर कटौतियों के लिए प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-7 में मासिक रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। कटौतीकर्ता

को उक्त रिटर्न प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए प्रस्तुत करना होगा, चाहे उस माह में कोई कटौती की गई हो या नहीं।



(घ) विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि

जीएसटीआर-7 में विवरण संबंधित कैलेंडर माह के बाद आने वाले माह की 10वीं तिथि तक या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) कटौतीकर्ता द्वारा कटौती की गई कर की जानकारी लाभार्थी के लिए सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध होती है।

कटौतीकर्ता द्वारा जीएसटीआर-7 में प्रस्तुत की गई टीडीएस की जानकारी जीएसटीआर-7 फॉर्म दाखिल करने के पश्चात् प्रत्येक लाभार्थी के लिए सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। आपूर्तिकर्ता इस राशि को अपने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में मान्यकरण के पश्चात् क्रेडिट के रूप में ले सकता है और इसे कर या किसी अन्य देयता के भुगतान के लिए उपयोग कर सकता है।

(च) स्रोत पर कर कटौती प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र कटौतीकर्ता (वह व्यक्ति जो कर काट रहा है) द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-7ए में लाभार्थी (उस आपूर्तिकर्ता से जिसका भुगतान कटौती के समय टीडीएस काटा गया है) को जारी किया जाना आवश्यक है।

यह प्रमाण पत्र राशि को सरकार के खाते में जमा करने की तारीख से 5 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए। इसमें कटौती किए गए कर का आधार मूल्य, कटौती की दर, स्रोत पर कर की राशि (टीडीएस) और सरकार को भुगतान की गई राशि संबंधी विवरण शामिल होते हैं।



6. कर भुगतान की समय सीमा [भाग39(7)]

प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसे उप-भाग(1) के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे उसके प्रावधान में उल्लिखित किया गया है, या उप-भाग(3) या उप-भाग(5) के अंतर्गत, सरकार को उस रिटर्न के अनुसार देय कर उस अंतिम तिथि तक भुगतान करना होगा जिस दिन उसे उक्त रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

हालाँकि, क्यूआरएमपी योजना के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को सरकार को ऐसी फॉर्म, विधि और समयसीमा के अनुसार कर का भुगतान करना होगा, जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है -

- (क) किसी माह के दौरान आवक और जावक माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी), देय कर और ऐसे अन्य विवरणों को ध्यान में रखते हुए देय कर के बराबर राशि;
- (ख) खंड (क) में उल्लेखित राशि के स्थान पर, ऐसी राशि जो निर्धारित विधि और ऐसे नियम, शर्तें एवं प्रतिबंधों के अधीन हो, जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है।

जिन व्यक्तियों को मासिक जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-7 दाखिल करना आवश्यक है, उनके कर भुगतान की समय सीमाएँ उन रिटर्नों की दाखिल करने की समय सीमाओं से जुड़ी होती हैं। अर्थात्, ऐसे रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि (समय सीमा) ही उन व्यक्तियों के लिए कर भुगतान की अंतिम तिथि भी होती है।

हालाँकि, क्यूआरएमपी योजना के अंतर्गत तिमाही जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वाले व्यक्तियों के लिए तिमाही के पहले दो महीनों का कर भुगतान की समय सीमा रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा से अलग होती है। क्यूआरएमपी योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को तिमाही के पहले दो महीनों के लिए देय कर, संबंधित महीने के अगले महीने की 25वीं तिथि तक जमा कर देना होगा।

इसी प्रकार, संयोजन योजना के अंतर्गत कर भुगतान करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए कर भुगतान और जीएसटीआर-4 दाखिल करने की समय सीमा अलग होती है। जहाँ एक वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटीआर-4 अगले वर्ष की 30 जून तक दाखिल करना आवश्यक है, वहीं उस तिमाही का कर संबंधित तिमाही के अगले महीने की 18 तारीख तक भुगतान करना होगा।

इसके अतिरिक्त, अ-निवासी कर योग्य व्यक्ति (एनआरटीपीएस) या आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति को भाग 27(2) के अंतर्गत, उस अवधि के लिए अपनी अनुमानित कर देयता के बराबर अग्रिम जमा राशि जमा करनी आवश्यक होती है, जिसके लिए पंजीकरण या पंजीकरण के विस्तार का अनुरोध किया गया है।

प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसे रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है, जीएसटी कानून के अंतर्गत देय कर, ब्याज, दंड, शुल्क या किसी अन्य राशि का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता से डेबिट करके करेगा और इस विवरण को रिटर्न में शामिल करेगा।

क्यूआरएमपी योजना के अंतर्गत मासिक कर भुगतान

क्यूआरएमपी योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति को तिमाही के पहले महीने, **दूसरे महीने या दोनों महीनों के लिए देय²⁴** कर जमा करना आवश्यक होगा। यह भुगतान संबंधित महीने के अगले महीने की 25वीं तिथि तक किया जाना चाहिए।

कर का मासिक भुगतान

हालाँकि, आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट वर्ग के कर योग्य व्यक्तियों के लिए Form जीएसटी पीएमटी-06 में उक्त राशि जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य कर/केंद्र शासित प्रदेश कर के आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी भी समय सीमा में वृद्धि को आयुक्त द्वारा अधिसूचित माना जाएगा।

कर जमा करते समय, ऐसा पंजीकृत व्यक्ति निम्न कार्य कर सकता है -


- (क) तिमाही के पहले महीने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में शेष राशि को ध्यान में रखे।
- (ख) तिमाही के दूसरे महीने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में शेष राशि को ध्यान में रखें, जिसमें पहले महीने के लिए देय कर शामिल न हो।

²³ भाग 49 के प्रावधानों के अधीन

²⁴ भाग 39 की उप-भाग(7) के पहले प्रावधान के तहत

उक्त तिमाही के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म में रिटर्न दाखिल करते समय, तिमाही के पहले दो महीनों में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि को डेबिट किया जाएगा। यह राशि केवल उस तिमाही के जीएसटीआर-3बी फॉर्म में प्रस्तुत देयता को ऑफसेट करने के उद्देश्य से डेबिट की जाती है। हालांकि, यदि उस तिमाही के जीएसटीआर-3बी फॉर्म दाखिल करने के पश्चात कोई राशि बचती है, तो उसे रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है या आगामी तिमाहियों में किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है।

चालान बनाते समय, करदाताओं को चालान बनाने का कारण “**तिमाही करदाता के लिए मासिक भुगतान**” चुनना चाहिए। उक्त व्यक्ति पहले दो महीनों में मासिक कर भुगतान के लिए नीचे दिए गए किसी भी दो विकल्पों में से किसी एक का उपयोग कर सकता है -



(क) निश्चित राशि विधि: यदि कोई करदाता इस विकल्प का चयन करता है, तो जीएसटी पोर्टल पर Form जीएसटी पीएमटी-06 में ऑटो-जेनरेट/पूर्व-भरा चालान बनाने की सुविधा उपलब्ध होती है। चालान की राशि सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से गणना की जाती है और इसे संपादित नहीं किया जा सकता। यह राशि इसके बराबर होती है:

- (i) पिछली तिमाही में **नकद भुगतान किए गए कर का 35%** उस रिटर्न में जिसमें रिटर्न **त्रैमासिक रूप से दाखिल किया गया था**; या
- (ii) **जिस महीने का रिटर्न मासिक रूप से दाखिल किया गया था**, उस तुरंत पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम महीने में रिटर्न में **नकद भुगतान की गई कर देयता**।

सुविधा के लिए, इसे नीचे दिए गए उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है:

- (i) यदि अंतिम रिटर्न त्रैमासिक आधार पर मार्च समापन तिमाही के लिए दाखिल किया गया था:

तिमाही (जनवरी - मार्च) में नकद भुगतान किया गया कर		प्रत्येक महीने - अप्रैल और मई में देय कर	
सीजीएसटी	100	सीजीएसटी	35

एसजीएसटी	100	एसजीएसटी	35
आईजीएसटी	500	आईजीएसटी	175
सी ई एस एस	50	सी ई एस एस	17.5

- (ii) यदि अंतिम रिटर्न मार्च कर अवधि के लिए मासिक आधार पर दाखिल किया गया था:

मार्च में नकद भुगतान किया गया कर	प्रत्येक महीने - अप्रैल और मई में देय कर		
सीजीएसटी	50	सीजीएसटी	50
एसजीएसटी	50	एसजीएसटी	50
आईजीएसटी	80	आईजीएसटी	80
सी ई एस एस	-	सी ई एस एस	-

हालाँकि, ऐसा कोई भी राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है—

- (क) तिमाही के पहले महीने के लिए, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर/इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शेष राशि उक्त महीने की कर देयता के लिए पर्याप्त हो या जहाँ कर देयता शून्य हो;
- (ख) तिमाही के दूसरे महीने के लिए, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर/इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शेष राशि तिमाही के पहले और दूसरे महीने की सम्मिलित कर देयता के लिए पर्याप्त हो या जहाँ कर देयता शून्य हो।

इस विधि के माध्यम से मासिक कर भुगतान उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा जिन्होंने उक्त महीने से पूर्व की पूरी कर अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

पूरी कर अवधि का अर्थ है वह कर अवधि जिसमें व्यक्ति कर अवधि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक पंजीकृत रहा हो।

- (ख) **स्व-मूल्यांकन विधि:** उक्त व्यक्ति किसी भी स्थिति में इनवर्ड और आउटवर्ड आपूर्ति पर कर देयता और उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को ध्यान में रखते हुए, फॉर्म जीएसटी पीएमटी-06 में देय कर का भुगतान कर सकते हैं। मासिक उपलब्ध आईटीसी का निर्धारण सुविधाजनक बनाने के लिए,

प्रत्येक महीने के लिए फॉर्म जीएसटीआर-2बी में एक ऑटो-ड्राफ्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट विवरण उपलब्ध कराया गया है।

क्यूआरएमपी के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति तिमाही के किसी भी दो महीनों में उपरोक्त दो कर भुगतान विधियों में से किसी भी एक का उपयोग स्वतंत्र रूप से कर सकता है। जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है, तिमाही के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न दाखिल करते समय, तिमाही के पहले 2 महीनों में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि को डेबिट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उस तिमाही का फॉर्म जीएसटीआर-3बी दाखिल करने के बाद शेष कोई भी राशि या तो रिफंड के रूप में दावा की जा सकती है या आगामी तिमाहियों में किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग की जा सकती है। हालाँकि, ऐसा रिफंड दावा केवल उस तिमाही के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न दाखिल करने के बाद ही अनुमति प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, रिटर्न दाखिल होने तक करदाता इस जमा राशि का किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं कर सकता।

ब्याज की प्रवर्तनीयता

क. उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जो फिक्स्ड सम विधि को चुनकर कर का भुगतान करते हैं

यदि तिमाही के पहले 2 महीनों में देय कर स्वचालित रूप से गणना की गई फिक्स्ड सम राशि जमा करके नियत तिथि तक भुगतान कर दिया जाता है (जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है), तो कोई ब्याज देय नहीं होगा।

दूसरे शब्दों में, यदि फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न दाखिल करते समय यह पाया जाता है कि तिमाही के पहले दो महीनों में किसी एक या दोनों महीनों में, की गई/प्राप्त आपूर्ति पर उपलब्ध क्रेडिट को घटाकर देयता, चैलान में भुगतान की गई राशि से अधिक थी, तो कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, बशर्ते वे पहले दो महीनों के लिए सिस्टम द्वारा गणना की गई राशि जमा करें और नियत तिथि तक उस तिमाही के फॉर्म जीएसटीआर-3बी में अपनी संपूर्ण देयता का निर्वहन करें।

यदि फॉर्म जीएसटी पीएमटी-06 में सिस्टम द्वारा गणना की गई राशि जमा करके कर का भुगतान नियत तिथि तक नहीं किया जाता है, तो ब्याज लागू दर पर देय होगा, फॉर्म जीएसटी पीएमटी-06 दाखिल करने की नियत तिथि से लेकर ऐसा भुगतान किए जाने की तिथि तक।

इसके अतिरिक्त, यदि तिमाही के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी नियत तिथि के बाद दाखिल किया जाता है, तो कर देयता (आईटीसी घटाने के बाद) पर भाग 50 के प्रावधानों के अनुसार ब्याज देय होगा।



(12) एक पंजीकृत व्यक्ति, जिसने क्यूआरएमपी योजना को चुना है, ने अक्टूबर से दिसंबर की पिछली तिमाही में कर देयता के रूप में कुल ₹100/- नकद का भुगतान किया था।

उन्होंने फिक्स्ड सम विधि के तहत कर भुगतान करने का विकल्प चुना। अतः उन्होंने तिमाही के पहले दो महीनों, यानी जनवरी और फरवरी, की कर देयता के निर्वहन के लिए 25 फरवरी और 25 मार्च को क्रमशः ₹35/- का भुगतान किया।

तिमाही के लिए उनके रिटर्न में पाया गया कि बाहर और अंदर की आपूर्ति के आधार पर जनवरी के लिए कर देयता ₹40/- और फरवरी के लिए ₹42/- थी। हालाँकि, इन दो महीनों में भुगतान की गई कम राशि (अर्थात् क्रमशः ₹5 और ₹7) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, बशर्ते कि वे नियत तिथि तक तिमाही के फॉर्म जीएसटीआर-3बी में अपनी संपूर्ण देयता का निर्वहन करें।



(13) एक पंजीकृत व्यक्ति, जिसने क्यूआरएमपी योजना को चुना है, ने अक्टूबर से दिसंबर की पिछली तिमाही में कर देयता के रूप में कुल ₹100/- नकद का भुगतान किया था।

उन्होंने फिक्स्ड सम विधि के तहत कर भुगतान करने का विकल्प चुना। अतः उन्होंने तिमाही के पहले दो महीनों, यानी जनवरी और फरवरी, की कर देयता के निर्वहन के लिए 25 फरवरी और 25 मार्च को क्रमशः ₹35/- का भुगतान किया।

तिमाही के लिए उनके रिटर्न में पाया गया कि उपलब्ध क्रेडिट घटाने के बाद तिमाही के लिए कुल कर देयता ₹125/- थी, लेकिन उन्होंने रिटर्न 30 अप्रैल को दाखिल किया। इस स्थिति में, तिमाही के जीएसटीआर-3बी की नियत तिथि और 30 अप्रैल के बीच ₹55/- [₹125 - ₹70 (पहले और दूसरे महीने में नकद लेजर में जमा राशि)] पर लागू दर के अनुसार ब्याज देय होगा।

ख. स्व-मूल्यांकन विधि को चुनकर कर का भुगतान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति के लिए

तिमाही के पहले दो महीनों के लिए देय कर या उसका कोई भाग (आईटीसी घटाने के बाद) जो बिना भुगतान रह जाता है या नियत तिथि के बाद भुगतान किया जाता है, उसके लिए भाग 50 के प्रावधानों के अनुसार ब्याज देय होगा।

यदि कोई ब्याज देय हो, तो उसे फॉर्म जीएसटीआर-3बी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

टिप्पणी: यह स्पष्ट किया जाता है कि तिमाही के पहले दो महीनों में कर भुगतान में विलंब के लिए कोई विलंब शुल्क लागू नहीं होगा।



7. अन्य रिटर्न/ विवरण

(i) प्रथम रिटर्न [भाग40]

जब किसी व्यक्ति का कारोबार थ्रेशोल्ड लिमिट पार कर जाने के बाद पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है, तो वह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन कर सकता है। इस प्रकार, किसी व्यक्ति के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होने और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बीच समय अंतराल हो सकता है। इस अंतराल के दौरान, ऐसा व्यक्ति बाहर की आपूर्ति कर सकता है, अर्थात् पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होने के बाद लेकिन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले।



अब, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को यह सक्षम बनाने के लिए कि वह उस अवधि के लिए की गई कर योग्य आपूर्ति को घोषित कर सके, जो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होने की तारीख से लेकर पंजीकरण प्रदान किए जाने की तारीख तक है, ताकि प्राप्तकर्ता उस आपूर्ति पर आईटीसी का लाभ उठा सके, सबसे पहले, पंजीकृत व्यक्ति उक्त अवधि में पहले से जारी किए गए चालानों के खिलाफ **संशोधित कर चालान** जारी कर सकता है, और यह संशोधन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए [भाग 31(3)(क) के साथ नियम 53 - विस्तार से अध्याय 10: कर चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट्स में चर्चा की गई है]। इसके अतिरिक्त, भाग 40 यह प्रावधान करती है कि पंजीकृत व्यक्ति को उक्त अवधि में की गई **बाहर की आपूर्ति** को पंजीकरण प्राप्त होने के बाद उसके द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रथम रिटर्न में घोषित करना होगा। इस रिटर्न का प्रारूप नियमित रिटर्न के समान है।

(ii) जीएसटीआर - 8: स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) का विवरण [भाग52 की उप-भागएँ (3), (4), (6) और (7) के साथ नियम 67 पढ़ें]

(क) मासिक विवरण

स्रोत पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायी ईसीओ को मासिक विवरण फॉर्म जीएसटीआर-8 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से दाखिल करना होगा। **फॉर्म जीएसटीआर-8** में ईसीओ द्वारा की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का विवरण शामिल होता है, जिसमें ईसीओ के माध्यम से लौटाई गई वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों और स्रोत राशि भी शामिल है।



(ख) विवरण दाखिल करने और स्रोत पर संग्रहित कर जमा करने की अंतिम तिथि

जीएसटीआर-8 में विवरण उस महीने के अगले महीने की 10 तारीख तक दाखिल करना चाहिए, जिसमें स्रोत पर कर संग्रहित किया गया हो।

जीएसटीआर-8 दाखिल करने की नियत तिथि को आयुक्त/राज्य जीएसटी आयुक्त/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी आयुक्त द्वारा किसी करदाताओं की श्रेणी के लिए अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, ईसीओ द्वारा संग्रहित कर की राशि (टीसीएस राशि) भी उस महीने के अगले महीने की 10 तारीख तक जमा करनी होगी, जिसमें स्रोत पर कर संग्रहित किया गया हो।

(ग) सामान्य पोर्टल पर आपूर्तिकर्ताओं के लिए टीसीएस विवरण और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा टीसीएस का दावा

ईसीओ द्वारा जीएसटीआर-8 में प्रस्तुत किए गए टीसीएस का विवरण उन सभी आपूर्तिकर्ताओं को, जिन्होंने ईसीओ के माध्यम से वस्तुएँ और/या सेवाएँ प्रदान की हैं, जीएसटीआर-8 दाखिल करने के बाद सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। आपूर्तिकर्ता इस राशि को जीएसटीआर-8 में दर्शाए गए रूप में अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट के रूप में ले सकता है, सत्यापन के बाद, और इसका उपयोग कर भुगतान या किसी अन्य देयता के लिए कर सकता है।

(घ) जीएसटीआर-8 में त्रुटियों/चूकों का सुधार

यदि जीएसटीआर-8 जमा करने के बाद, ईसीओ स्वयं कोई विसंगति पाता है जो किसी जाँच, ऑडिट, निरीक्षण या प्रवर्तन कार्यवाही का परिणाम न हो तो उसे उस महीने के लिए दाखिल किए जाने वाले जीएसटीआर-8 में उस विसंगति को सुधारना चाहिए, बशर्ते भाग 50 के तहत ब्याज का भुगतान किया जाए।

यह सुधार वित्तीय वर्ष के अंत के बाद 30 नवंबर या संबंधित वार्षिक विवरण [जीएसटीआर-9बी] दाखिल करने की वास्तविक तिथि, जो भी पहले हो, के बाद अनुमति नहीं है।

(ङ) फॉर्म जीएसटीआर-8 दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा

ईसीओ के लिए फॉर्म जीएसटीआर-8 दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा उस विवरण की नियत तिथि से **3 वर्ष** है। यह समय सीमा सरकार द्वारा किसी ईसीओ या ईसीओ की किसी श्रेणी के लिए बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते इसमें निर्दिष्ट शर्तें और प्रतिबंध लागू हों।

(iii) जीएसटीआर - 9/9ए और जीएसटीआर-9बी: वार्षिक रिटर्न [भाग 44, 52(5) के साथ नियम 80]

(क) कौन वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए उत्तरदायी है और इसकी नियत तिथि क्या है?

सभी पंजीकृत व्यक्ति वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हैं। हालाँकि, निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है:

- (i) असामान्य करदात्री
- (ii) गैर-निवासी करदात्री
- (iii) इनपुट सेवा वितरक²⁵
- (iv) भाग51/52 के तहत कर काटने/संग्रह करने के लिए अधिकृत व्यक्ति

आयुक्त, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, अधिसूचना के माध्यम से किसी पंजीकृत व्यक्तियों की श्रेणी को इस भागके तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से मुक्त कर सकता है।


किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न अगले वित्तीय वर्ष की 31 दिसंबर तक दाखिल किया जाना चाहिए।

(ख) वार्षिक रिटर्न/विवरण के लिए निर्धारित फॉर्म कौन सा है?

वार्षिक रिटर्न सामान्य पोर्टल के माध्यम से **फॉर्म जीएसटीआर-9** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाना है।

संयोजन कराधान के तहत पंजीकृत व्यक्ति: संयोजन योजना के तहत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति वार्षिक रिटर्न **फॉर्म जीएसटीआर-9ए** में दाखिल करने के लिए उत्तरदायी होता है।

★ ध्यान दें कि स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) करने के लिए उत्तरदायी ईसीओ को अनुभाग**52(5)** में उल्लिखित वार्षिक विवरण **फॉर्म जीएसटीआर-9 बी** (अभी अधिसूचित किया जाना है) में दाखिल करना आवश्यक है। किसी वित्तीय वर्ष के लिए यह विवरण अगले वित्तीय वर्ष की **31 दिसंबर** तक दाखिल किया जाना चाहिए।



²⁵ आईएसडी से संबंधित प्रावधानों पर अंतिम स्तर पर चर्चा की गई है।

(ग) कौन स्व-प्रमाणित सामंजस्य विवरण दाखिल करने के लिए उत्तरदायी है?

- (v) सभी पंजीकृत व्यक्तियों को वार्षिक रिटर्न के साथ स्व-प्रमाणित सामंजस्य विवरण दाखिल करना आवश्यक है यदि किसी वित्तीय वर्ष में उनका कुल कारोबार ₹5 करोड़ से अधिक है। हालाँकि, निम्नलिखित व्यक्तियों को स्व-प्रमाणित सामंजस्य विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है:
- (क) असामान्य करदात्री
- (ख) गैर-निवासी करदात्री
- (ग) इनपुट सेवा वितरक
- (घ) भाग 51/52 के तहत कर काटने/संग्रह करने के लिए अधिकृत व्यक्ति
- (vi) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को वार्षिक रिटर्न के साथ-साथ स्व-प्रमाणित सामंजस्य विवरण की एक प्रति, जो विधिवत प्रमाणित हो, फॉर्म जीएसटीआर-9सी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

स्व-प्रमाणित सामंजस्य विवरण वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत रिटर्न में घोषित आपूर्तियों के मूल्य का ऑडिट की गई वार्षिक वित्तीय विवरणी के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा।



वार्षिक विवरणी में घोषित आपूर्तियों का मूल्य



ऑडिटेड वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित आपूर्तियों का मूल्य

(घ) वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट, जिसमें स्व-सत्यापित समन्वय विवरण शामिल हो।

केंद्र/राज्य सरकार का विभाग या स्थानीय प्राधिकरण, जिनकी लेखा पुस्तकें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट के अधीन हैं या जिनके खातों के ऑडिट के लिए किसी लागू कानून के तहत नियुक्त ऑडिटर द्वारा ऑडिट किया जाता है, उन्हें वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट दी गई है, जिसमें स्व-सत्यापित समन्वय विवरण शामिल है।

(ड) वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की अधिकतम समय-सीमा

किसी वित्तीय वर्ष के लिए एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की अधिकतम समय-सीमा उक्त वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि से 3 वर्ष है। इस समय-सीमा को सरकार द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि इसमें निर्दिष्ट शर्तें और प्रतिबंध लागू हों।

(iv) जीएसटीआर-10 - अंतिम रिटर्न [भाग45 के साथ नियम 81 पढ़कर]

(क) अंतिम रिटर्न किसे प्रस्तुत करना आवश्यक है?

प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसे भाग39(1) के तहत रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है और जिसकी पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, उसे सामान्य पोर्टल के माध्यम से फॉर्म जीएसटीआर-10 में अंतिम रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है।



(ख) अंतिम विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या है?

अंतिम विवरणी को निम्न में से किसी एक की तिथि से 3 माह के भीतर दायर करना होता है:

(i) निरस्तीकरण की तिथि

अथवा

(ii) निरस्तीकरण के आदेश की तिथि जो

भी बाद की हो।

(v) जीएसटीआर - 11 - यूआईएन धारक व्यक्तियों की अंतःआवक आपूर्तियों का विवरण [नियम 82]

(क) जब अंतःआवक आपूर्तियों पर चुकाए गए करों की वापसी का दावा करने के लिए यूआईएन जारी किया जाता है

ऐसा व्यक्ति उन अंतःआवक कर योग्य वस्तुओं और/या सेवाओं की विवरणी, जिन पर कर वापसी का दावा किया गया है, फॉर्म जीएसटीआर-11 में प्रस्तुत करेगा, साथ ही उस वापसी दावे के लिए आवेदन भी संलग्न करेगा।



(ख) जब यूआईएन कर वापसी के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है

ऐसा व्यक्ति उन अंतःआवक कर योग्य वस्तुओं और/या सेवाओं का विवरण, जो सक्षम अधिकारी द्वारा मांगा जाए, फॉर्म जीएसटीआर-11 में प्रस्तुत करेगा।



8. वापसी प्रस्तुत करने में डिफॉल्ट/विलंब [अनुच्छेद 46 और 47]

- (i) वापसी न देने वाले करदाताओं को नोटिस [भाग 46, नियम 68 के साथ पढ़ें]

जिस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा भाग 39 [सामान्य विवरणी] या भाग 44 [वार्षिक विवरणी] या भाग 45 [अंतिम विवरणी] या भाग 52 [टीसीएस विवरण] के तहत विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती, उसे निर्धारित फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस जारी किया जाता है।



नोटिस में पंजीकृत व्यक्ति को 15 दिनों के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, विफल रहने पर संबंधित अधिकारी के पास उपलब्ध प्रासंगिक जानकारी के आधार पर भाग 62 के तहत कर देयता का आकलन किया जाएगा। इस प्रकार आकलित कर के अलावा, लागू ब्याज और दंड भी देय होंगे।

- (ii) वापसी प्रस्तुत करने में विलंब पर विलंब शुल्क [भाग 47]

विलंब शुल्क भाग 47 के प्रावधानों के अनुसार, विवरणी / बाह्य आपूर्ति के विवरण प्रस्तुत करने में विलंब पर लागू होता है। बाह्य आपूर्ति विवरण [भाग 37], विवरणी (क्यूआरएमपी योजना के अंतर्गत विवरणी सहित) [भाग 39], अंतिम विवरणी [भाग 45] और टीसीएस विवरण [भाग 52] को उनके निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रस्तुत न करने पर निर्धारित विलंब शुल्क देय होता है।

भाग 47 के तहत विवरणी और/या वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में विलंब पर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब शुल्क केवल सीजीएसटी अधिनियम के सन्दर्भ में होता है। इसी राशि के बराबर विलंब शुल्क उस व्यक्ति द्वारा संबंधित एसजीएसटी / यूटीजीएसटी अधिनियम के तहत भी देय होता है।

केंद्रीय सरकार द्वारा विलंब शुल्क को आंशिक या पूर्ण रूप से माफ किया जा सकता है [भाग 128(26)]। इस दृष्टिकोण में, फॉर्म जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4, जीएसटीआर-7 और जीएसटीआर-9 की विलंबित प्रस्तुति पर विलंब शुल्क को संगत रूप से समायोजित किया गया है²⁶।

भाग 47 द्वारा निर्धारित विलंब शुल्क और माफी के बाद देय विलंब शुल्क की राशि इस अध्याय के परिशिष्ट में विद्यार्थियों की जानकारी के लिए दी गई है और यह परीक्षा प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक नहीं है।

²⁶ भाग 128 को फाइनल स्तर में चर्चा किया गया है।

²⁷ सूचना संख्या 4/2018 सीटी दिनांक 23.01.2018, सूचना संख्या 73/2017 सीटी दिनांक 29.12.2017, सूचना संख्या 76/2018 सीटी दिनांक 31.12.2018, सूचना संख्याएँ 19-22/2021 सीटी सभी दिनांक 01.06.2021 और सूचना संख्या 07/2023 सीटी दिनांक 31.03.2023 के अनुसार



9. माल एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर (जीएसटीपी) [भाग 48]

भाग 48 में एक पात्र व्यक्ति को अनुमोदित माल एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर (जीएसटीपी) के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण प्रदान किया गया है। एक पंजीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित जीएसटीपी को अपने पक्ष में सरकार को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

जीएसटीपी के अनुमोदन की प्रक्रिया, उनकी पात्रता की शर्तें, कर्तव्य और दायित्व, हटाने की प्रक्रिया और उनके संचालन से संबंधित अन्य शर्तें नियम 83, 83ए और 84 में निर्धारित की गई हैं।

जीएसटीपी अनुमोदित जीएसटीपी को एक अलग यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान करता है, ताकि वह अपने ग्राहकों की यूजर आईडी और पासवर्ड मांगे बिना उनके पक्ष में कार्य कर सके। वे जीएसटी कानून के तहत करदाताओं की ओर से सभी




कार्य कर सकते हैं। एक करदाता किसी अन्य जीएसटीपी को चुन सकता है, इसके लिए उसे पहले पूर्ववर्ती जीएसटीपी का चयन रद्द करना होगा और फिर जीएसटी पोर्टल पर नया जीएसटीपी चुनना होगा।

जीएसटीपी के रूप में नामांकन के लिए आवेदन, नामांकन प्रमाणपत्र, अयोग्यता के लिए कारण बताओ नोटिस, नामांकन आवेदन अस्वीकृति का आदेश, अनुमोदित जीएसटीपी की सूची, प्राधिकरण पत्र और प्राधिकरण वापसी के लिए मानकीकृत प्रारूप निर्धारित किए गए हैं।

किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में नामांकित जीएसटीपी को अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में भी नामांकित माना जाएगा।

(i) जीएसटीपी बनने के लिए पात्रता मापदंड क्या हैं?

जीएसटीपी के लिए पात्रता मापदंड अगली पृष्ठ पर समझाए गए हैं:



निर्धारित योग्यताएँ

(i) स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समकक्ष परीक्षा, जिसमें वाणिज्य, विधि, बैंकिंग (उच्च स्तरीय लेखा परीक्षा सहित), व्यवसाय प्रशासन या व्यवसाय प्रबंधन में डिग्री हो, किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से जो वर्तमान में प्रभाव में किसी कानून द्वारा स्थापित हो।

(ii) किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा, जिसे किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा उप- खंड (i) में उल्लिखित डिग्री परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो।


(iii) इस उद्देश्य के लिए परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परीक्षा।

(iv) किसी भारतीय विश्वविद्यालय की या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की कोई भी डिग्री परीक्षा, जिसे किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो।

(v) आईसीएआई / आईसीएसआई / भारत के कॉस्ट अकाउंटेंट्स संस्थान की फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ii) जीएसटीपी द्वारा कौन-कौन से कार्य किए जा सकते हैं?

यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अधिकृत किया गया हो, तो जीएसटीपी निम्नलिखित में से किसी/सभी गतिविधियों को उसके पक्ष में कर सकता है:



जीएसटीपी के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करना: जब कोई पंजीकृत व्यक्ति जीएसटीपी के माध्यम से अपनी विवरणी प्रस्तुत करने का विकल्प चुनता है, तो वह पंजीकृत व्यक्ति:

किसी जीएसटीपी को अपनी विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित फॉर्म में अपनी सहमति देता है।

जीएसटीपी द्वारा तैयार किसी भी विवरण की पुष्टि से पहले यह सुनिश्चित करता है कि विवरण में उल्लिखित तथ्य सत्य और सही हैं


इस प्रकार, जीएसटीपी द्वारा प्रस्तुत विवरणी या अन्य विवरणों में किसी भी जानकारी की सत्यता और शुद्धता की जिम्मेदारी उस पंजीकृत व्यक्ति पर बनी रहती है, जिसके पक्ष में यह विवरणी और विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। पंजीकृत व्यक्ति को पुष्टि करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विवरणी में उल्लिखित तथ्य सत्य और सही हैं। हालांकि, पुष्टि के अनुरोध का जवाब न देना स्वीकृत पुष्टि के रूप में माना जाएगा।

(iii) अन्य बिंदु

- ❑ एक पंजीकृत व्यक्ति निर्धारित फॉर्म में अपनी सहमति देता है और उस जीएसटीपी को उन गतिविधियों की सूची के माध्यम से अधिकृत करता है, जिनमें वह जीएसटीपी को अधिकृत करना चाहता है। जीएसटीपी उसी फॉर्म के भाग बी में इस प्राधिकरण को स्वीकार करता है।
- ❑ जीएसटीपी केवल उन कार्यों को ही कर सकता है जो निर्धारित फॉर्म में संकेतित हैं। पंजीकृत व्यक्ति किसी भी समय इस प्राधिकरण को वापस ले सकता है।
- ❑ जीएसटीपी द्वारा प्रस्तुत किसी भी विवरण को पंजीकृत व्यक्ति के लिए सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है। जीएसटीपी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक विवरण के लिए पंजीकृत व्यक्ति से ईमेल या एसएमएस के माध्यम से पुष्टि मांगी जाती है।
- ❑ जीएसटीपी को सभी विवरणों को पूर्व सावधानी के साथ तैयार करना चाहिए और अपने द्वारा तैयार किए गए विवरणों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना चाहिए या अपने प्रमाण-पत्रों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करना चाहिए।
- ❑ यदि जीएसटीपी को दुराचार में दोषी पाया जाता है, तो उसका नामांकन रद्द किया जा सकता है और उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

(iv) जीएसटीपी के रूप में नामांकन की प्रक्रिया क्या है?

जीएसटीपी के नामांकन की प्रक्रिया को निम्नलिखित आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है:

जीएसटीपी का पंजीकरण

आइए पुनरावलोकन करें

1. विवरणियों का अर्थ

विवरणी

एक विवरण जिसमें करदाता द्वारा नियमित अंतराल पर कर प्रशासन को जानकारी प्रदान की जाती है।

विवरणियों का प्रस्तुतिकरण सबसे महत्वपूर्ण अनुपालन प्रक्रिया है, जो सरकार/कर प्रशासन को किसी विशेष अवधि के लिए कर संग्रह का अनुमान लगाने और करदाताओं के कर अनुपालन की सत्यता और पूर्णता निर्धारित करने में सक्षम बनाती है।

2. विवरणी प्रस्तुत करने के तरीके

सभी विवरणियाँ ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

विवरणी प्रस्तुत करने के तरीके


जीएसटीएन पोर्टल (www.gst.gov.in)

जीएसटीएन द्वारा प्रदान किए गए ऑफ़लाइन यूटिलिटीज़

जीएसटी सुविधा प्रदाता (जीएसपीएस)

3. बाह्य आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना [भाग 37, नियम 59 के साथ पढ़ें]

बाहरी आपूर्ति का विवरण कौन प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है?




बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कौन सा फॉर्म है?




फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तिथियाँ

पंजीकृत व्यक्ति का वर्ग	प्रत्येक त्रैमासिक/मास के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाह्य आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा
क्यूआरएमपी योजना का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्ति	त्रैमासिक के अगले महीने की 13वीं तिथि
अन्य	उक्त महीने के अगले महीने की 11वीं तिथि

क्यूआरएमपी स्कीम चुनने वाले करदाताओं के लिए इनवॉइस फर्निशिंग सुविधा (आईएफएफ)




वे कौन-कौन से मामले हैं जिनमें एक पंजीकृत व्यक्ति को जीएसटीआर-1/आईएफ़एफ में बाहरी आपूर्तियों का विवरण प्रदत्त करने से रोका जाता है?




जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-1ए और आईएफएफ में बाहरी आपूर्तियों के किन प्रकार के विवरण प्रदत्त किए जाने हैं?

जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-1ए में प्रदत्त किए जाने वाले विवरण




आईएफएफ के माध्यम से प्रदत्त किए जाने वाले विवरण



वर्तमान अवधि के लिए जीएसटीआर-1 में संशोधन

जीएसटीआर-1ए	एक वैकल्पिक सुविधा
	नई प्रविष्टियाँ जोड़ने के लिए, जिन्हें करदाता ने फॉर्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करते समय छोड़ दिया हो, और/या
	उन प्रविष्टियों में संशोधन करने के लिए, जो उसी अवधि में फॉर्म जीएसटीआर -1 में पहले से रिपोर्ट की गई थीं।
	किसी कर अवधि के लिए जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने के बाद, लेकिन उसी कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने से पहले।

पूर्व अवधियों के लिए दायर जीएसटीआर-1 में त्रुटियों का संशोधन



इस प्रकार के संशोधनों की अधिकतम समय-सीमा निम्नलिखित में से जो भी पहले आए उसके अनुसार होगी:

- उस वित्तीय वर्ष के अंत के बाद आने वाली 30 नवंबर, जिसके लिए ये विवरण संबंधित हैं, या
- संबंधित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि


शून्य जीएसटीआर-1 का दाखिल करना

शून्य जीएसटीआर-



1

- जीएसटीआर-1 दाखिल करना सभी सामान्य और अल्पकालिक करदाताओं के लिए अनिवार्य है, भले ही किसी विशेष कर अवधि में कोई व्यावसायिक गतिविधि न हुई हो।


4. इनवर्ड सप्लाई का विवरण प्रस्तुत करना [भाग 38 के साथ नियम 60 का पठान]



आवक आपूर्तियों के विवरण का निर्धारण करने का प्रपत्र और तरीका - जीएसटीआर-2ए
और जीएसटीआर-2बी



5. भाग 39 के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करना



फॉर्म जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करने की नियत तिथियाँ

जीएसटीआर-3बी मासिक या त्रैमासिक रूप से दाखिल किया जा सकता है और दाखिल करने की नियत तिथियाँ इस प्रकार हैं:

- ❖ **मासिक जीएसटीआर-3बी** उस माह के अगले माह की 20वीं तिथि तक दाखिल करना होता है, जिसके लिए रिटर्न प्रस्तुत किया गया है।

- ❖ त्रैमासिक जीएसटीआर-3बी, क्यूआरएमपी योजना का विकल्प चुनने वाले करदाता के मामले में, उस तिमाही के अगले माह की 22वीं या 24वीं तिथि (राज्य के अनुसार) तक दाखिल करना होता है।

क्यूआरएमपी योजना

वैकल्पिक रिटर्न्स दाखिल करने की योजना

त्रैमासिक रिटर्न्स

मासिक भुगतान

पात्रता

- पिछले वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर ₹ 5 करोड़ तक वाले करदाता

पात्र बनने के लिए पूरी की जाने वाली शर्त

- करदाता ने उस विकल्प का प्रयोग करने की तिथि तक देय अंतिम रिटर्न्स प्रस्तुत किया होना चाहिए

विकल्प का प्रयोग करने का तरीका

करदाता किसी भी तिमाही के लिए विकल्प का प्रयोग, संबंधित तिमाही के पहले माह के अंतिम दिन तक, पिछली तिमाही के दूसरे माह की पहली तिथि से कर सकते हैं।

एक बार विकल्प का प्रयोग करने के बाद उसकी वैधता

- करदाता को प्रत्येक तिमाही में विकल्प का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब यह विकल्प चुना जाता है, तो भविष्य की कर अवधियों के लिए वे चयनित विकल्प के अनुसार रिटर्न्स प्रस्तुत करते रहेंगे, जब तक कि वे उक्त विकल्प में संशोधन नहीं करते।

क्यूआरएमपी योजना का विकल्प जीएसटीआईएन अनुसार होता है

एक व्यक्ति कुछ जीएसटीआईएन के लिए क्यूआरएमपी योजना का विकल्प ले सकता है और अन्य जीएसटीआईएन के लिए नहीं।

क्यूआरएमपी योजना से बाहर निकलना

क्यूआरएमपी योजना से बाहर निकलने वाले करदाता

- सकल टर्नओवर वित्तीय वर्ष में ₹ 5 करोड़ से अधिक हो गया है

किसी तिमाही के लिए क्यूआरएमपी योजना से बाहर निकलने की सुविधा की उपलब्धता

- पिछली तिमाही के दूसरे माह की पहली तिथि से संबंधित तिमाही के पहले माह की अंतिम तिथि तक उपलब्ध


शून्य जीएसटीआर-3बी


शून्य
जीएसटीआर-3बी

- सभी सामान्य और अल्पकालिक करदाताओं के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करना अनिवार्य है, भले ही किसी विशेष कर अवधि में कोई व्यावसायिक गतिविधि न हुई हो।

3. फॉर्म जीएसटीआर-4 और जीएसटी सीएमपी-08: कम्पोज़िशन डीलरों के लिए

- ❖ एक कम्पोज़िशन सप्लायर को वार्षिक रूप से जीएसटीआर-4 रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है और उसे त्रैमासिक रूप से फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 में कर का भुगतान करना आवश्यक है।



**टिप्पणी:**

- (1) जीएसटीआर-1 दाखिल करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त कम्पोज़िशन सप्लायर की इनवर्ड सप्लाई फॉर्म जीएसटीआर-4ए में देखने के लिए स्वतः प्रदर्शित होगी।
- (2) यदि किसी कर अवधि में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, तो कम्पोज़िशन योजना के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले सभी करदाताओं के लिए शून्य जीएसटी सीएमपी-08 दाखिल करना अनिवार्य है।

4. फॉर्म जीएसटीआर-5: गैर-निवासी करयोग्य व्यक्ति (एनआरटीपी_{एस}) के लिए

टिप्पणी: एक एनआरटीपी को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

5. फॉर्म जीएसटीआर-7: स्रोत पर कटौती किए गए कर (टीडीएस) के लिए

- ❖ जीएसटीआर-7 एक रिटर्न है जो स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए है, जब भी करयोग्य माल या सेवाएँ या दोनों किसी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग/संस्था, स्थानीय प्राधिकरण, या सरकारी एजेंसियों को प्रदान की जाती हैं, और प्राप्तकर्ता को स्रोत पर कर काटना आवश्यक होता है तथा सप्लाई का कुल मूल्य ₹ 2,50,000 से अधिक होता है।

- ❖ जीएसटीआर-7ए- स्रोतकर्ता द्वारा स्रोतक को टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने का प्रपत्र

जीएसटीआर-7


(टीडीएस के लिए)

आवृत्ति:
मासिक

नियत तिथि:

कैलेंडर माह के अगले माह की 10वीं तिथि तक या उससे पहले

7. कर भुगतान की नियत तिथि




क्यूआरएमपी योजना के तहत कर का भुगतान

तिमाही के पहले 2 महीनों में देय कर


पूर्व-भरे हुए फॉर्म जीएसटी पीएमटी-06 में जमा करके भुगतान

भुगतान अगले माह की 25वीं तिथि तक किया जाना चाहिए

क्यूआरएमपी योजना के तहत मासिक कर भुगतान के विकल्प




विधि 1: निश्चित राशि विधि



इस विधि के माध्यम से मासिक कर भुगतान उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा जिन्होंने उस माह से पहले पूरी कर अवधि के लिए रिटर्न्स दाखिल नहीं किया है।

विधि 2: स्व-मूल्यांकन विधि



ब्याज की लागूता -

(1) निश्चित राशि विधि करदाताओं के लिए

जहाँ तिमाही के पहले 2 महीनों के लिए स्वतः गणना की गई निश्चित राशि नियत तिथि तक भुगतान की गई हो

- यदि उक्त माह के लिए कर दायित्व अधिक पाया जाए, तब भी कोई ब्याज लागू नहीं होगा
- यदि तिमाही का जीएसटीआर-3बी नियत तिथि तक दाखिल किया गया और संपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया गया

जहाँ करदाता मासिक भुगतान नियत तिथि के बाद करता है

- ब्याज लागू दर पर जीएसटी पीएमटी-06 दाखिल करने की नियत तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक देय होगा

जहाँ फॉर्म जीएसटीआर-3बी नियत तिथि के बाद दाखिल किया जाता है

- आईटीसी के शुद्ध कर दायित्व के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की भाग 50 के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज


(2) स्व-मूल्यांकन विधि करदाताओं के लिए

सीजीएसटी अधिनियम की भाग 50 के प्रावधानों के अनुसार ब्याज देय

उस कर या उसके किसी भाग (आईटीसी घटाने के बाद) के लिए जो नियत तिथि तक अप्रदत्त/बाद में भुगतान किया गया हो


तिमाही के पहले 2 महीनों के लिए

8. त्रुटियों/उल्लेखों का सुधार




6. अन्य रिटर्न्स/विवरण पत्र


(i) प्रथम रिटर्न्स




(ii) जीएसटीआर-8 - स्रोत पर कर संग्रह का विवरण पत्र




(iii) अंतिम रिटर्न्स




(iv) वार्षिक रिटर्न एवं वार्षिक विवरण पत्र





(v) जीएसटीआर-11 - यूआईएन धारकों के इनवर्ड सप्लाई का विवरण





अपने ज्ञान की जाँच करें

1. श्रीमान एक्स, जो नियमित योजना के तहत पंजीकृत करदाता हैं, ने जुलाई माह के दौरान कोई कर योग्य सप्लाई नहीं की।
यदि वह मासिक फाइलर है, तो क्या उसे जीएसटीआर-3बी दाखिल करना आवश्यक है?
2. "सभी करदाताओं को केवल कर अवधि समाप्त होने के बाद ही जीएसटीआर-1 दाखिल करना आवश्यक है।" इस कथन की वैधता की जांच करें।
3. श्री कोहली गुजरात राज्य में पंजीकृत सप्लायर हैं। वह प्रत्येक माह जीएसटीआर-1 दाखिल कर रहे हैं। फरवरी माह के दौरान वह भारत से बाहर गए, इसलिए उस माह में कोई व्यावसायिक लेनदेन नहीं कर सके। उन्हें यह विश्वास है कि चूंकि कोई लेनदेन नहीं हुआ, इसलिए फरवरी माह के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
यदि वह मासिक फाइलर है, तो क्या वह सही है? समझाएँ।
4. श्रीमती जरीना, राजस्थान में पंजीकृत डीलर हैं, उन्होंने जून माह के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया लेकिन जुलाई माह के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करना चाहती हैं।
क्या यह संभव है? भाग 39 के संदर्भ में उत्तर दें।
5. उन आउटवर्ड सप्लाई का विवरण सूचीबद्ध करें जिन्हें इनवॉइस फ़र्निशिंग फ़ैसिलिटी (आईएफएफ) का उपयोग करके प्रस्तुत किया जा सकता है।
6. ए एक प्रैक्टिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं। संभावित ग्राहक द्वारा रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया के संबंध में पूछताछ पर, ए ने स्वयं को जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में प्रस्तुत किया। ए का विचार है कि चूंकि वह अपने प्रोपाइटरशिप फर्म के नाम पर पंजीकृत एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इसलिए वह जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में भी योग्य हैं।
क्या ए की समझ सही है? चर्चा करें।
7. क्विकटैक्स, एक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाली सेवा प्रदाता, ने अपने ग्राहकों से बी2बी ग्राहकों को जारी किए गए टैक्स चालानों की स्कैन की हुई प्रतियां जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करने और रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रदान करने के लिए कहा है।
क्या क्विकटैक्स द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सही है?

8. एक्स लिमिटेड, एक सामान्य करदाता, राजस्थान में अपना व्यवसाय बंद कर रहा है। एक्स लिमिटेड. के टैक्स कंसल्टेंट ने सुझाव दिया है कि एक्स लिमिटेड. को राजस्थान राज्य में पंजीकरण की स्वैच्छिक रद्दीकरण के समय या तो वार्षिक रिटर्न या अंतिम रिटर्न दाखिल करना होगा।

क्या आप एक्स लिमिटेड. के टैक्स कंसल्टेंट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं? अपने टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें।



उत्तर

1. एक पंजीकृत करदाता को भाग 39 के तहत प्रत्येक माह (त्रैमासिक फाइलर्स के लिए प्रत्येक तिमाही) के लिए रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है, भले ही उस अवधि के दौरान कोई सप्लाई नहीं हुई हो। दूसरे शब्दों में, शून्य जीएसटीआर-3बी दाखिल करना भी अनिवार्य है।

अतः, मासिक फाइलर होने के नाते, श्री एक्स को जुलाई माह के दौरान कोई कर योग्य सप्लाई न होने के बावजूद जीएसटीआर-3बी दाखिल करना आवश्यक है।

2. यह कथन आंशिक रूप से मान्य है।

एक करदाता वर्तमान कर अवधि समाप्त होने से पहले फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं कर सकता। हालांकि, इस नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं:

क. अल्पकालिक करदाता, उनके व्यवसाय के बंद होने के बाद

ख. सामान्य करदाता के जीएसटीआईएन का रद्दीकरण।

जिस करदाता ने पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया है, उसे आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि के बाद फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी।

3. नहीं, श्री कोहली सही नहीं हैं। कर अवधि में कोई व्यावसायिक गतिविधि न होने पर भी जीएसटीआर-1 दाखिल करना आवश्यक है। अतः दिए गए मामले में, भले ही श्री कोहली भारत से बाहर थे और फरवरी माह में कोई व्यावसायिक लेनदेन नहीं कर सके, उन्हें उस माह के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करना आवश्यक है।

4. भाग 39(10) के अनुसार, किसी पंजीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है यदि उसने किसी पूर्व कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः दिए गए मामले में, यदि श्रीमती जरीना ने पिछली माह, यानी जून, का जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया है, तो वह जुलाई के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं कर सकती।

5. आईएफएफ का उपयोग करके प्रस्तुत की जाने वाली आउटवर्ड सप्लाई का विवरण निम्नलिखित है:

- (क) पंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर-राज्य और अंतः राज्य सप्लाई के चालानवार विवरण;
- (ख) डेबिट और क्रेडिट नोट, यदि कोई हों, जो पूर्व में जारी किए गए ऐसे चालानों के लिए उसी माह में जारी किए गए हों।

6. ए की समझ सही नहीं है।

एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जीएसटी प्रैक्टिशनर (जीएसटीपी) बन सकता है। हालांकि, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र होना और जीएसटी पंजीकरण होना यह संकेत नहीं देता कि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वयं जीएसटी प्रैक्टिशनर भी है। जीएसटीपी बनने के लिए, प्रैक्टिस में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट को जीएसटी कानून के तहत प्रदान किए गए जीएसटीपी पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करना होगा और केवल इस पंजीकरण की स्वीकृति के पश्चात ही वह स्वयं को जीएसटीपी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

7. नहीं, त्वरित कर द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सही नहीं है।

बी2बी ग्राहकों को माल या सेवाएँ प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों को कर अवधि के दौरान की गई सप्लाई के चालानवार विवरण को अपलोड करना आवश्यक है। हालांकि, रिटर्न दाखिल करने के समय जीएसटी पोर्टल पर ग्राहकों को जारी किए गए चालानों की स्कैन की हुई प्रतियाँ अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल जीएसटी रिटर्न के फॉर्मेट के अनुसार आवश्यक जानकारी को रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी में दर्ज किया जाना चाहिए और वही जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए, वास्तविक चालानों की स्कैन की हुई प्रतियाँ नहीं।

8. नहींएक्स लिमिटेड के टैक्स कंसल्टेंट द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सही नहीं है।



सामान्य करदाता के रूप में कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। अंतिम रिटर्न उन पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाता है जिन्होंने पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया हो, और इसे रद्दीकरण की तिथि या रद्दीकरण आदेश की तिथि के 3 महीने के भीतर दाखिल करना होता है।

दिए गए मामले में, एक्स लिमिटेड, एक पंजीकृत व्यक्ति, अपना व्यवसाय बंद कर रहा है और इस प्रकार उसने पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया है। अतः इसे वार्षिक रिटर्न और अंतिम रिटर्न दोनों दाखिल करना आवश्यक है।

RAPID FIRE QUIZ



- 1 • किसी कम्पोज़िशन सप्लायर द्वारा किसी विशेष तिमाही के लिए कर भुगतान की नियत तिथि क्या है?
- 2 • क्या किसी कम्पोज़िशन सप्लायर को रिटर्न्स त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर दाखिल करना आवश्यक है?
- 3 • वह व्यक्ति कौन है जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का मालिक, संचालक या प्रबंधक है?
- 4 • निर्धारित करें कि फॉर्म जीएसटीआर-1 इनवर्ड सप्लाई का विवरण प्रदान करता है या आउटवर्ड सप्लाई का।
- 5 • क्या जीएसटीआर-2बी वास्तविक समय में अपडेट होने वाला विवरण है या स्थिर (स्टैटिक) विवरण?
- 6 • आईएफएफ के अंतर्गत, प्रत्येक तिमाही के पहले दो महीनों में वह कुल चालान मूल्य क्या है, जिसके बाद चालानवार विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता?
- 7 • क्या जीएसटीआर -2ए वास्तविक समय में अपडेट होने वाला विवरण है या स्थिर विवरण?
- 8 • क्यूआरएमपी योजना का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति को वर्ष में कितने जीएसटीआर-3बी रिटर्न्स दाखिल करने होते हैं?
- 10 • टीडीएस कटौतीकर्ता द्वारा किसी माह के लिए रिटर्न्स दाखिल करने की नियत तिथि क्या है?
- 11 • कौन सा रिटर्न्स उस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाना है जिसे भाग 39(1) के अंतर्गत रिटर्न्स दाखिल करना आवश्यक है और जिसकी पंजीकरण निरस्त या समर्पित किया जा चुका है?



आड़ा

2. फॉर्म जीएसटीआर-2बी एक _____ विवरण है और यह महीने में केवल एक बार उपलब्ध होता है।
8. सभी पंजीकृत व्यक्तियों को वार्षिक रिटर्न के साथ स्व-प्रमाणित _____ विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है यदि उनका वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कारोबार ₹ 5 करोड़ रुपये से अधिक है।
10. अंतिम रिटर्न उस कर योग्य व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाना है जिसका पंजीकरण रद्दीकरण की तारीख या रद्दीकरण के आदेश की तारीख से 3 महीने के भीतर रद्द कर दिया गया है, जो भी _____ हो।

11. जब किसी विशेष कर अवधि में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होती है, तो _____ जीएसटीआर-1 दाखिल किया जाना है।

नीचे

1. फॉर्म जीएसटीआर-2बी में पात्र _____ (संक्षिप्त नाम) का विवरण शामिल है
3. _____ करदाताओं को फॉर्म सीएमपी-08 में तिमाही आधार पर कर का भुगतान करना आवश्यक है।
4. एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को _____ रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
5. एक संयोजन आपूर्तिकर्ता को _____ आधार पर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है
6. प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसे भाग 39(1) के तहत रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है और जिसका पंजीकरण सरेंडर कर दिया गया है, उसे _____ रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।
7. सरकार को राशि जमा करने के _____ दिनों के भीतर कटौतिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-7ए में कटौतिकर्ता को टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना आवश्यक है।
9. जीएसटीआर-3बी को _____ आपूर्ति के चालान-वार डेटा की आवश्यकता नहीं है।

इस अध्याय के रैपिड फायर क्विज़ और क्रॉसवर्ड पज़ल के उत्तर प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित क्यूआर कोड स्कैन करें।



कोड स्कैन करें

वित्त अधिनियम, 2025 के माध्यम से किए गए संशोधन

वित्त अधिनियम, 2025, 29.03.2025 से लागू हो गया है। तथापि, वित्त अधिनियम, 2025 के माध्यम से सीजीएसटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम में किए गए अधिकांश संशोधन केवल उस तिथि से प्रभावी होंगे, जिसे केंद्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करेगी। ऐसी कोई अधिसूचना 30.04.2025 तक जारी नहीं की गई है। अतः **मई 2026, सितम्बर 2026 और/या जनवरी 2027 परीक्षाओं के लिए ऐसे संशोधन की प्रासंगिकता या अनुप्रयोग के संबंध में सूचना आईसीएआई द्वारा घोषणा के माध्यम से दी जाएगी।**

नीचे दी गई तालिका में, भाग 38 और 39 के वर्तमान प्रावधानों की तुलना वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित प्रावधानों से की गई है।

जैसे ही आईसीएआई द्वारा परीक्षा/परीक्षाओं के लिए ऐसे संशोधनों की प्रासंगिकता की घोषणा की जाती है, विद्यार्थियों को अध्याय में चर्चा किए गए संबंधित प्रावधानों के स्थान पर यहां दिए गए संशोधित प्रावधानों को पढ़ना चाहिए।

भाग	वर्तमान प्रावधान	वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित प्रावधान	टिप्पणियाँ
38(1)	पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा भाग 37 की उप-भाग (1) के अंतर्गत प्रस्तुत आउटवर्ड सप्लाई का विवरण तथा अन्य ऐसे सप्लाई का विवरण जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण वाले ऑटो-जनरेटेड विवरण को ऐसे सप्लाई के प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे रूप और तरीके से, निर्धारित समय में, और	पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा भाग 37 की उप-भाग (1) के अंतर्गत प्रस्तुत आउटवर्ड सप्लाई का विवरण तथा अन्य ऐसे सप्लाई का विवरण जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण वाला विवरण प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे रूप और तरीके से, निर्धारित समय में, और निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों	भाग 38(1) को संशोधित किया जाएगा ताकि उक्त उप-भाग में इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण के संबंध में "ऑटो-जनरेटेड" शब्दावली को हटा दिया जा सके।

	निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन उपलब्ध कराया जाएगा।	के अधीन उपलब्ध कराया जाएगा।	
38(2)	<p>उप-भाग (1) के अंतर्गत ऑटो-जनरेटेड विवरण में निम्नलिखित शामिल होंगे -</p> <p>(क) इनवर्ड सप्लाई का विवरण, जिनके संबंध में प्राप्तकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध हो सकता है; और</p> <p>(ख) ऐसी सप्लाई का विवरण, जिनके संबंध में प्राप्तकर्ता द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से ऐसा क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता, यदि उक्त सप्लाई का विवरण भाग 37 की उप-भाग (1) के तहत प्रस्तुत किया गया हो,---</p> <p>(i) किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, पंजीकरण लेने की निर्धारित अवधि के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; या</p>	<p>उप-भाग (1) में उल्लिखित विवरण में निम्नलिखित शामिल होंगे -</p> <p>(क) इनवर्ड सप्लाई का विवरण, जिनके संबंध में प्राप्तकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध हो सकता है;</p> <p>(ख) ऐसी सप्लाई का विवरण, जिनके संबंध में प्राप्तकर्ता द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से ऐसा क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसमें उक्त सप्लाई का विवरण भाग 37 की उप-भाग (1) के तहत प्रस्तुत किए जाने के कारण शामिल है,---</p> <p>(i) किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, पंजीकरण लेने की निर्धारित अवधि के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; या</p>	<p>भाग 38(2) में संशोधन किया जाना है, जिसके अंतर्गत उक्त उपधारा में इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द "स्वतः उत्पन्न" को हटाया जाएगा तथा उक्त उपधारा के खंड (b) में "प्राप्तकर्ता द्वारा" शब्दों के बाद "जिसमें सम्मिलित है" शब्द जोड़ा जाएगा, ताकि उक्त खंड को अधिक समावेशी बनाया जा सके।</p> <p>इसके अतिरिक्त, उक्त उपधारा में एक नया खंड (c) जोड़ा जाना प्रस्तावित है, जिसके माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण में उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य विवरणों को विनिर्दिष्ट करने हेतु एक सक्षमकारी प्रावधान प्रदान किया जाएगा।</p>

	<p>(ii) किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर का भुगतान करने में चूक की है और जहां ऐसी चूक निर्धारित अवधि तक जारी रही हो, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; या</p> <p>(iii) किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा उक्त उप- भाग के अंतर्गत प्रस्तुत आउटवर्ड सप्लाइ के विवरण के अनुसार निर्धारित अवधि के दौरान देय आउटपुट टैक्स, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, उसके द्वारा उक्त अवधि में भुगतान किए</p>	<p>(ii) किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर का भुगतान करने में चूक की है और जहां ऐसी चूक निर्धारित अवधि तक जारी रही हो, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; या</p> <p>(iii) किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा उक्त उप- भाग के अंतर्गत प्रस्तुत आउटवर्ड सप्लाइ के विवरण के अनुसार निर्धारित अवधि के दौरान देय आउटपुट टैक्स, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है,</p>	
--	---	--	--

किया

	<p>गए आउटपुट टैक्स से उस सीमा तक अधिक हो, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; या</p> <p>(iv) किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने निर्धारित अवधि के दौरान, उप-खंड (क) के अनुसार प्राप्त किए जा सकने वाले क्रेडिट से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया हो, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, उस सीमा तक; या</p> <p>(v) किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने भाग 49 की उप- भाग (12) के</p>	<p>उसके द्वारा उक्त अवधि में भुगतान किए गए आउटपुट टैक्स से उस सीमा तक अधिक हो, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; या</p> <p>(iv) किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने निर्धारित अवधि के दौरान खंड (क) अनुसार प्राप्त किए जा सकने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक राशि का क्रेडिट लिया हो, वह अधिकतम सीमा तक, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;</p>	
--	--	---	--

	<p>प्रावधानों के अनुसार अपने कर दायित्व को पूरा करने में चूक की हो, ऐसे निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; या</p> <p>(vi) अन्य ऐसे वर्ग के व्यक्तियों द्वारा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।</p>	<p>(v) किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने भाग 49 की उप-भाग (12) के प्रावधानों के अनुसार अपने कर दायित्व को पूरा करने में चूक की हो, ऐसे निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; या</p> <p>(vi) अन्य ऐसे वर्ग के व्यक्तियों द्वारा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।</p> <p>(ग) अन्य ऐसे विवरण, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।</p>	
39(1)	प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, सिवाय इनपुट सेवा वितरक, गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति या उस व्यक्ति के जो धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के	प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, सिवाय इनपुट सेवा वितरक, गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति या उस व्यक्ति के जो धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के	भाग 39(1) में संशोधन किया जाएगा ताकि उक्त खंड के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने के लिए शर्तों और प्रतिबंध


	<p>प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करता है, को प्रत्येक कैलेंडर माह या उसके किसी भाग के लिए इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई का विवरण, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ, देय कर, भुगतान किए गए कर और अन्य ऐसे विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे रूप और तरीके से, और निर्धारित समय के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, रिटर्न् के रूप में प्रस्तुत करना होगा:</p>	<p>प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करता है, को प्रत्येक कैलेंडर माह या उसके किसी भाग के लिए इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई का विवरण, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ, देय कर, भुगतान किए गए कर और अन्य ऐसे विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे रूप और तरीके से, निर्धारित समय के भीतर तथा निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, रिटर्न् के रूप में प्रस्तुत करना होगा:</p>	<p>करने के लिए एक सक्षम प्रावधान प्रदान किया जा सके।</p>
--	--	--	--

परिशिष्ट

रिटर्न दाखिल करने में विलंब होने की स्थिति में देय विलंब शुल्क की राशि केवल विद्यार्थियों की जानकारी के लिए यहां दी गई है और यह परीक्षा के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं है। जैसा कि इस अध्याय में चर्चा की गई है, विलंब शुल्क भाग 47 के प्रावधानों के अनुसार रिटर्न/आउटवर्ड सप्लाई का विवरण समय पर प्रस्तुत न करने पर लागू होता है। निम्नलिखित में से किसी को भी निर्धारित नियत तिथियों तक दाखिल करने में विलंब होने पर विलंब शुल्क लगेगा:

- (क) आउटवर्ड सप्लाई का विवरण [भाग 37]
- (ख) रिटर्न (क्यूआरएमपी योजना के तहत रिटर्न सहित) [भाग 39]
- (ग) अंतिम रिटर्न [भाग 45]
- (घ) टीसीएस विवरण [भाग 52]

भाग 47 द्वारा निर्धारित विलंब शुल्क की राशि निम्नलिखित है:




ध्यान देने योग्य है कि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा भाग 47 के अंतर्गत रिटर्न और/या वार्षिक रिटर्न देर से दाखिल करने पर देय विलंब शुल्क केवल सीजीएसटी अधिनियम के संदर्भ में है। इसी राशि के बराबर विलंब शुल्क उक्त व्यक्ति द्वारा संबंधित एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत भी देय है। अतः यहां उल्लिखित विलंब शुल्क की राशि सीजीएसटी तथा एसजीएसटी/यूटीजीएसटी दोनों से संबंधित है।

प्रपत्र जीएसटीआर -1, जीएसटीआर -3बी, जीएसटीआर -4, जीएसटीआर -7 एवं जीएसटीआर -9 के विलंबित दाखिले के लिए विलंब शुल्क का युक्तिसंगतकरण

विलंब शुल्क को आंशिक रूप से या पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा माफ किया जा सकता है [भाग 128²⁸]। इस संदर्भ में, प्रपत्र जीएसटीआर -1, जीएसटीआर -3B, जीएसटीआर -4, जीएसटीआर -7 एवं जीएसटीआर -9 के विलंबित दाखिले के लिए विलंब शुल्क का युक्तिसंगतकरण²⁹ किया गया है, जो निम्नलिखित है:

(i) जीएसटीआर-7 के विलंबित दाखिले के लिए:-

भाग 51 के प्रावधानों के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती करने हेतु उत्तरदायी किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जीएसटीआर-7 के विलंबित दाखिले के लिए भाग 47 के अंतर्गत देय कुल विलंब शुल्क निम्नानुसार होगा:




यदि किसी माह में स्रोत पर कटौती किए गए केंद्रीय और राज्य कर की कुल राशि शून्य हो, तो कुल विलंब शुल्क माफ किया जाएगा।

(ii) जीएसटीआर -1 और/या जीएसटीआर -3 बी के विलंबित दाखिले के लिए :-

जिस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा नियत तिथि तक प्रपत्र जीएसटीआर-1 और/या प्रपत्र जीएसटीआर-3 बी प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उसके द्वारा भाग 47 के अंतर्गत देय विलंब शुल्क की राशि निम्नानुसार होगी:


²⁸ भाग 128 का अंतिम स्तर पर चर्चा की गई है।

²⁹ सूचना क्रमांक 4/2018 सीटी दिनांक 23.01.2018, सूचना क्रमांक 73/2017 सीटी दिनांक 29.12.2017, सूचना क्रमांक 76/2018 सीटी दिनांक 31.12.2018, सूचना क्रमांक 19-22/2021 सीटी सभी दिनांक 01.06.2021 तथा सूचना क्रमांक 07/2023 सीटी दिनांक 31.03.2023 के माध्यम से।




(iii) जीएसटीआर-4 के विलंबित दाखिले के लिए:-

जो संरचनात्मक आपूर्तिकर्ता नियत तिथि तक प्रपत्र जीएसटीआर-4 प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उसके द्वारा भाग 47 के अंतर्गत देय विलंब शुल्क की राशि निम्नानुसार होगी:



(iv) जीएसटीआर -9 के विलंबित दाखिले के लिए:-



नोट

अध्ययन सामग्री जीएसटी कानून को व्यवस्थित रूप से समझाने के लिए पहले विधिक प्रावधानों को प्रस्तुत करती है, उसके बाद उनका विश्लेषण किया जाता है। विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो प्रावधान पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं, वे ऐसे विधिक प्रावधानों में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। ऐसे बहिष्कृत प्रावधान पूर्ण भागएँ, नियम या भागओं/नियमों के उप-भाग/उप-नियम हो सकते हैं।

हालांकि, जहाँ कोई भाग/नियम पाठ्यक्रम में शामिल है, लेकिन उसमें अन्य भाग/नियम का संदर्भ (जो पाठ्यक्रम से बहिष्कृत है) दिया गया हो, वहाँ पूरे भाग को विधिक प्रावधानों में सम्मिलित किया गया है, अर्थात् बहिष्कृत भाग का संदर्भ हटाया नहीं गया है। तथापि, उस भाग का विश्लेषण करते समय केवल प्रासंगिक भाग को विस्तार से समझाया गया है।

इस अध्ययन सामग्री में जीएसटी कानून पर चर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की वेबसाइट www.cbic.gov.in पर उपलब्ध सामग्री एवं छवियाँ शामिल की गई हैं, जैसे जीएसटी से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यूज़), जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर जारी ई-फ्लायर, क्षेत्रीय एफ़एक्यूज़, साथ ही जीएसटी कॉमन पोर्टल www.gst.gov.in पर उपलब्ध उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका और एफ़एक्यूज़, जहाँ तक इस चर्चा के लिए प्रासंगिक हैं।